# धुलिखेल नगरपालिका

## काभ्रेपलाञ्चोक, बागमती प्रदेश

## स्थानीय राजपत्र

खण्डः ४ संख्या : २ मितिः २०७७/०३/३१

## भाग - १

## धुलिखेल नगरपालिका

### धुलिखेल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७

धुलिखेल नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

नगर सभाबाट पारित मितिः २०७७/०३/१८
प्रमाणीकरण मितिः २०७७/०३/२५

**प्रस्तावनाः**

धुलिखेल नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम धुलिखेल नगर सभाले यो ऐन बनाई लागू गरेको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०७७" रहेको छ।

(२) यो ऐन २०७७ साल श्रावण १ गते देखि धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ।

२. **सम्पति करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनाहरुलाई एकीकृत रुपमा हिसाब गरी सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर गुठी जग्गामा सम्पत्ति कर लगाइने छैन। नक्सा पेश गर्दा निर्माण कार्यको समय तालिका पेश गरी सोही समय तालिका भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। पेश गरेको समय तालिकाको आधारमा सम्पत्ती करको गणना गरिनेछ। यदि कसैले नक्सा पेश गरेको भन्दा कम तल्ला निर्माण गरी कार्यालयमा जानकारी गराएमा निर्माण भएको संरचनालाई मात्र मुल्यांकनमा समावेश गर्न सकिनेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको गणना र दर **अनुसूची -१** मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। अनुसूची १ बमोजिम सम्पत्ती कर गणना गर्दा न्यूनतम रु ५ लाख सम्मको मूल्यांकनमा रु २२०।- बाहेक कुनै पनि ब्यक्ति/संस्थाको साविकको सम्पत्तीमा घटवढ नभै अघिल्लो आ.व.मा कायम रहेको सम्पत्ती कर भन्दा वढी हुन गएमा अघिकतम १० प्रतिशत भित्र समायोजन गरी तथा घटीको हकमा अघिल्लो आ.व.को भन्दा नघट्ने गरी कर असूली गरिनेछ।

३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउँदा घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग, अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर, कर तिर्न सक्ने क्षमता, अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजारमूल्य तथा ह्रासमूल्य समेतलाई विचार गरी कार्यपालिकाले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

४) सम्पत्ति कर संकलन गर्दा घर जग्गा बहाल कर, ब्यवसाय कर, सरसफाइ शुल्क, विपद् व्यवस्थापन शुल्क र सडक बत्ती शुल्क समेत एकीकृतरुपमा असूल उपर गरिनेछ। साथै यि करहरु चुक्ता नगरेमा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा दिन कार्यालय वाध्य हुनेछैन ।

३. **<u>भूमि कर (मालपोत)</u>**: नगरपालिका क्षेत्रभित्र **अनुसूची -२** बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर दफा २ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाएको जग्गामा भूमीकर (मालपोत) लगाईने छैन।

४. **<u>घर जग्गा बहाल कर:</u>** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तबरले बहालमा दिएकोमा बार्षिक बहाल रकममा बहाल कर लगाउन सक्नेछ। घर जग्गा बहाल कर सम्बन्धमा भाडा निर्धारणको लागि सम्झौता गर्नु पर्नेछ । सम्झौता गर्दा नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम दर भन्दा कम नहुने गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ। यसरी गरिने सम्झौता कम्तिमा ३ महिनाको न्यूनतम अवधिको हुनु पर्ने साथै सोही बमोजिम कर भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने घरजग्गा वहाल करको दर **अनुसूची -३** मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

३) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने बहाल रकम निर्धारण गर्नको लागि नगरपालिकाले घरजग्गा रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाल रकम निर्धारण गरी कर लिन सक्नेछ।

४) बहाल कर नगरपालिकामा दाखिला गर्ने दायित्व घर धनीको हुनेछ। करको दायित्व वहन गर्ने विषय बहालमा लिने दिनेले आपसी समझदारीमा तय गर्न सक्नेछन्।

५) यस ऐन बमोजिम घर जग्गा बहाल करको प्रयोजनको लागि स्वघोषणा फारमको ब्यवस्था गरिनेछ। स्वघोषणा प्रतिवेदन कर परीक्षणको सामाग्री बन्न सक्नेछ।

६) स्वघोषणा फारम भर्न इन्कार गरेमा वा ढीलाई गरेमा वा पूर्ण विवरण नदिएमा वडा कार्यालय, कर शाखा वा नगर प्रहरीलाई स्थलगत निरिक्षणमा पठाई घर बहालमा रहेको नरहेको एकीन गरिनेछ।

७) बहालमा लगाएको घर जग्गा निश्चित समय खाली रहन गएकोमा त्यस अवधिको कर कट्टि गर्न सकिनेछ। खाली रहेको अवधिको ब्यहोरा वडा कार्यालय वा वडा सदस्यबाट प्रमाणीत गराई पेश गर्नु पर्नेछ।

८) नगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको सम्पत्तीहरु जस्तै मेशिनरी औजार चौर सभाहल लगायको भाडाको दर **अनुसूची -४** मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

५. **<u>व्यवसाय कर:</u>** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

२) उप दफा (१) बमोजिम ब्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय इजाजत प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त ब्यवसायीहरुले वार्षिक रुपमा ब्यवसाय कर चुक्ता गरी ब्यवसाय नवीकरण गर्नु पर्नेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिने व्यवसाय इजाजत दस्तुरको दर ब्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न लाग्ने लगानीको आधारमा **अनुसूची -५** मा तोकिए बमोजिम हुनेछ । अनुसूची ५ बमोजिमको दस्तुर र लागू गरिने व्यवसायको वर्गीकरण **अनुसूची -६** बमोजिम हुनेछ।

४) उपदफा (२) बमोजिमको इजाजत विना नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि ब्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न पाईने छैन।

५) उपदफा (४) बमोजिम लिइने व्यवसाय करको गणना र दर **अनुसूची -७** मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६) दफा (४) को उपदफा (५) बमोजिमको स्व-घोषणा पत्रमा आफ्नो घर जग्गा तथा स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तीमा ब्यवसाय गरी बसेका ब्यवसीहरुको बिवरण समेत समेट्नु पर्नेछ।

७) आफ्नो घर जग्गामा ब्यवसाय गरी बस्ने ब्यवसायीहरुलाई ब्यवसाय करको दायरामा ल्याउन सघाउनु हरेक घर जग्गा घनीको कर्तव्य मानिनेछ।

८) यस दफा बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागू गर्न सक्नेछ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत **अनसूची -८** बमोजिम जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि कारोवार भन्नाले विक्रेताले जारी गरेको विल वा वीजक वा लेनदेन भएको जनिने प्रमाणलाई सम्झनु पर्दछ र नगरपालिकाले कर लगाउँदा कारोवार रकमको निश्चित प्रतिशतका दरले लगाउने छ।

२) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको ब्यवसायिक कारोवार गर्ने ब्यक्ती वा संस्थालाई नगरपालिकाले ब्यवसाय इजाजत दिदा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोकी इजाजत दिनेछ।

७. **सवारी साधन करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सवारी साधनमा प्रदेशले सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ। तर टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र विद्युतीय रिक्सा तथा स्कुटरका साथै आफ्नो श्रोतबाट निर्माण गरेको वा आफुलाई हस्तान्तरण भई आएको सडक, बाटो तथा पुलबाट आवागमन गर्ने सवारी तथा यातायातका साधन सवारी साधनमा पटके सवारी कर समेत गरी सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले लगाउने भनी तोकिएका सवारी साधनहरुको दर्ता, नवीकरण र सवारी साधन करको दर **अनुसूची -९** बमोजिम हुनेछ।

३) प्रदेशले लगाएको सवारी साधन कर रकमबाट नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने हिस्सा प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

८. **विज्ञापन करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन, प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा **अनुसूची -१०** बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागू गर्न सक्नेछ। नगरपालिकाको स्वीकृति विना कुनै पनि प्रकारका साइनबोर्ड होडिङ्गबोर्ड राख्न पाइने छैन । स्वीकृत नलिइ यस्तो कार्य गरेमा जगरिवाना वा होडिङ्ग बोर्ड हटाउने दुबै कार्य नगरपालिकाले गर्न सक्नेछ ।

३) यस दफा बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको विज्ञापन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसँग बाँडफाँड गरिनेछ।

९. **मनोरञ्जन करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सिनेमाहल, सांस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर सङ्गीत, मनोञ्जन प्रदर्शनस्थल, जादू, सर्कस, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असलु उपर गरिनेछ।

२) उप दफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको मनोरञ्जन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसँग बाँडफाँड गरिनेछ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्कः** (१) नगरपालिकाले आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका देहाय बमोजिमका सम्पत्तिहरुमा **अनुसूची -११** बमोजिमको दरमा वहाल विटौरी शुल्क लगाउन र उठाउन सक्नेछः

क) आफुले निर्माण गरेका वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति,

ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका अस्थायी टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास,

ग) नगरपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसल,

२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल बिटौरी शुल्क उठाउनका लागि कार्यपालिकाले न्यूनतम दर निर्धारण गरी बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढाबढको माध्यमबाट बहालमा दिन सक्नेछ।

३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल विटौरी शुल्क उठाउनकालागि नगरपालिकाले त्यस्तो स्थानमा खरीद बिक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवं कारोवारको आधारमा तोकेको न्यूनतम बहाल विटौरी शुल्कको दरमा वोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट बहाल विटौरीमा दिन सकिनेछ।

४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम बहाल विटौरीमा दिंदा शर्त सहित सम्झौता गरी दिनु पर्नेछ।

११. **पार्किङ्ग शुल्कः** (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकेको पार्किङ्गस्थलमा सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएवापत पार्किङ्ग गर्ने समयको आधारमा **अनुसूची - १२** मा उल्लेख भएबमोजिमको दरमा पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम तोकेको स्थान वाहेक अन्य स्थानमा सवारी पार्किङ्ग गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । तर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रभित्र यस दफा बमोजिम सवारी पार्किङ्ग गराइने र शुल्क लगाइने छैन।

३) नगरपालिकाले सवारी पार्किङ्ग क्षेत्र निर्धारण गर्दा सवारी आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा गर्नेछ।

१२. **सेवा शुल्क, दस्तुरः** (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपप्लायर, ज्याफ्टिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

२) नगरपालिकाले निर्माण वा संचालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछः

क) खानेपानी, विजुली, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,

ख) फोहोरमैला व्यबस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,

ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पशु बधशाला, शबदाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,

घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल जस्ता सेवा,

ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,

च) नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सिफारिश सम्बन्धी कुनै सेवा,

छ) ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल एवं धार्मिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शुल्क।

तर ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल र धार्मिक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गर्दा नेपाली नागरिकलाई यस प्रकरण बमोजिम शुल्क लिन पाइने छैन।

३) नगरपालिकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, "घ" बर्गको निर्माण व्यबसायी इजाजत, विद्यालय स्थापना, विद्यालयको कक्षा कोठा थप, विषय थप अनुमति, नाम परिवर्तन ठाउँसारी, ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधी पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा नियमन आदि सेवामा सेवा शुल्क दस्तुर तोकी लगाइने र उठाइने छ।

४) दफा (१), (२) र (३) बमोजिम हजार सिढी तथा टुँडिखेल क्षेत्रभित्र प्रवेश तथा स्वदेशी चलचित्र छायाँकनमा **अनुसूची -१३** बमोजिमको कर तथा नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क र दस्तुरको दर **अनुसूची -१४** मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।

१३. **विक्री तथा निकासी शुल्कः** (१) नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थलवाट उत्पादन हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानिजन्य वस्तुहरुको विक्री गर्न सक्नेछ।

२) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन भै आफ्नो सीमाक्षेत्रभन्दा बाहिर निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको वाह्य निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन सक्नेछ।

३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नगरपालिकाले गर्ने विक्री तथा लगाउने निकासी शुल्कको दर **अनुसूची -१५** मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४) कार्यपालिकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउने पुराना र कामनलाग्ने वस्तु, उपकरण तथा सामानहरु लिलामविक्री गर्न सक्नेछ।

५) कार्यपालिकाले नागरिकको सुविधाको लागि विभिन्न फाराम तथा पुस्तकहरु वा अन्य सेवा विक्री गर्न सक्नेछ।

६) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुहरु विक्री तथा उपदफा (२) बमोजिमको निकासी शुल्क असूलीका लागि विक्री तथा निकासीको परिमाण तथा दर निर्धारण गरी वोलपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट गरिने छ।

१४. **घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कः** (१) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम लगाइने र उठाइनेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम उठेको रकम प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँट गरिनेछ।

१५. **नक्सापास दस्तुरः** नगरपालिका क्षेत्र भित्र नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुर **अनुसूची -१६** वमोजिम लगाईने तथा असुल उपर गरिनेछ।

१६. **सरसफाई शुल्कः** नगरपालिका क्षेत्र भित्र सरसफाई सेवा दिए वापतको सरसफाई शुल्क **अनुसूची -१७** वमोजिम लगाईने तथा असुल उपर गरिनेछ।

१८. **दण्ड जरिवानाः** नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर, शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित कानूनमा दर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा **अनुसूची -१८** बमोजिम हुनेछ।

१९. **कर छुटः** (१) यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई सामान्यतया कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन । तर बार्षक रुपमा तिर्नु पर्ने कर समयमा तिरी सहज सेवा प्रदान गरी नियम सम्मत छुट लिन चाहने सेवाग्राहीहरु र वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय जनतालाई निश्चत प्रतिशतमा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगलाई **अनुसूची -१९** वमोजिम कर छुट प्रदान गरिनेछ।

२) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुटनीतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्थाको वस्तु तथा कारोवारमा यस ऐन बमोजिमको कर लिईने छैन।

३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लाभको उद्देश्य नराखी संचालन हुने संघ संस्थाहरुलाई सम्पत्ती कर, नक्सा पास दस्तुर, सरसफाई शुल्क जस्ता कर र दस्तुरहरु लगाइनेछ।

४) आय संकलन प्रयोजगनको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा नै एक मुष्ट रकम बुझाई सम्झौता गर्ने ठेकेदारलाई सूचना बमोजिमको एक मुष्ठ रकम छुट दिईनेछ।

५) माथि जुनकुसै कुरा लेखिएको भए तापिन विपद, महामारी तथा संकटग्रस्त अवस्था श्रृजना भएमा कार्यालयको सिफारिसमा नगर प्रमुखले औचित्य हेरी कुनै प्रकारको कर वा सोको अम्समा छुट दिन सक्नेछ। त्यस्तो छुटको विवरण नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ।

२०. **प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनः** (१) नगरपालिकाले गरेको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले नगरपालिकामा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निबेदन दिन सक्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निबेदन उपर प्रशासकिय पुनरावलोकनको लागि कार्यपालिकाले प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय राजश्व प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ । यस्तो समितिमा कर निर्धारणमा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहभागिता रहनेछैन।

३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरालोकनको लागि प्राप्त भएको निवेदन उपर पैतीस दिनभित्र छानविन तथा निर्णय गरी सम्वन्धित ब्यक्तिलाई निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ।

४) नगरपालिकाले तोकिएको समयमा यस दफा बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन नगरेको कारणले करदालाई थप आर्थिक भार पर्न गई हानी नोक्सानी पर्न गएमा नगरपालिकाले त्यसको क्षतिपुर्ति दिनु पर्दछ।

२१. **ठेक्का आह्वान गर्न सक्नेः** (१) यस ऐन बमोजिम संकलन गर्ने सेवा शुल्क र दस्तुर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार एक आर्थिक वर्षको लागि आय ठेक्का बन्दोवस्त गरी संकलन गर्न सक्नेछ।

तर, आन्तरिक आय वृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्न जाने अवस्थामा बढीमा दुई वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिनेछ।

२) यस दफा बमोजिमको आय ठेक्का दिदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी व्यबस्था मिलाउनु पर्नेछ।

३) नगरपालिकाले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगावै ठेक्का बन्दोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ।

४) नगरपालिकाले कर संकलन गर्न सामान्यतया ठेक्का बन्दोबस्त गरिने छैन । तर जडिबुटी, कवाडी र जीबजन्तु कर तथा विज्ञापन कर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त नै गर्नु पर्ने अवस्थामा सभाको निर्णय गराई ठेक्कामा संकलन गर्न सकिनेछ।

५) यस दफा बमोजिम गरिने आय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि बोलपत्र, दरभाउपत्र तथा डाँक बढाबढ सम्बन्धी कार्यविधि र पट्टा कबुलियत, धरौटी, किस्ता र ठेक्का तोड्ने जस्ता कार्यविधिहरु अर्को व्यबस्था नभएसम्म स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ (संशोधन समेत) लाई आधार मानी गरिनेछ।

२२. **सहयोग गर्नुपर्नेः** संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले नगरपालिकाको राजस्व असुली कार्यमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२३. **प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिनेः** नगरपालिकाले करको दर निर्धारण गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई कम बोझ पर्ने गरी प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

२१. **कर संकलनको लागि सेवा रोक्न सक्नेः** (१) नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर तोकिएको समयमा दाखिला नगरेमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने सिफारिश बाहेकका अन्य सवै सेवा प्रवाह रोक्का गरी कर संकलन गर्न सकिनेछ,

२) नगरपालिकामा विभिन्न प्रकारका कर तथा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले अन्य कर भुक्तानी नगरी सम्पत्ति कर तिर्न नपाउने गरी सेवा रोक्का गर्न सकिनेछ,

३) सेवा प्रवाहको मुख्य थलो वडा कार्यालय भएको कारणले नगरस्तरीय कर चुक्ताको प्रमाण कागज संलग्न नभए सम्म वडा कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्ने छैनन् । कर असुली र कर प्रशासनमा सघाउनु वडा अध्ययक्ष तथा वडा कार्यालयको कर्तब्य हुनेछ ।

२४. **नगरस्तरीय कर चुक्ता प्रमाण पत्र जारी गर्ने:** (१) नगरपालिकामा दर्ता भै ब्यवसाय गर्ने करदाताहरुलाई नेपाल सरकारको कर कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिनु पूर्व नगरपालिकाबाट कर चुक्ताको प्रमाण पत्र लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कर कार्यालयलाई नगरपालिकाबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त भए पछि मात्र त्यहाँबाट त्यस्तो प्रमाण पत्र जारी गर्ने गरी ब्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिनेछ।

२) नगरपालिका क्षेत्रमा दर्ता भै ब्यवसाय गर्ने संस्थालाई कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश नगरेमा त्यस्तो संस्था सँग नगरपालिककाले कुनै आर्थिक कारोवार गर्ने छैन।

३) आर्थिक वर्षको असोज मसान्त सम्ममा कर दाखिला गर्ने समय भएकोले उक्त अवधिमा सेवा दिदा कर चुक्ता प्रमाण पत्र आवश्यक पर्ने छैन। यसै गरी पौष मसान्त सम्मको लागि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न सकिने र सो अवधि सम्प म्याद थपको पत्र पेश भएमा कर चुक्ताको प्रमाण-पत्र अनिवार्य गरिने छैन। तत् पश्चात सेवा प्रवाह गर्दा कर चुक्ता प्रमाण-पत्र अनिवार्य आवश्यक पर्नेछ।

४) प्रस्तुत दफाको प्रयोजनको लागि ब्यक्तिगत स्वमित्वमा रहेको घर जग्गाको सम्पत्ती कर तिरेको रसिदलाई कर चुक्ता प्रमाण-पत्रको रुपमा मान्यता दिइनेछ।

२५. **किस्तामा कर तिर्न सकिने:** (१) नगरपालिकाबाट निर्धारण भएको कर, करदाताको अनुरोधमा २ वा ३ किस्तामा तिर्नु पर्ने गरी कायम गर्न सकिने छ।

२६. **प्रचलित कानून बमोजिम हुने:** यस ऐनमा उल्लेख गरिएका बिषयहरुमा यसै बमोजिम र उल्लेख नगरिएका बिषयमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

२७. **करदाताको पहिचान तथा दर्ता :**

१) व्यवसाय संचालन गर्नुपूर्व दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय संचालन गर्नु पर्नेछ।

२) कर एकाईले यस ऐन बमोजिम कर तिर्नु पर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गर्नु पर्नेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम करदाताको पहिचान गर्दा व्यक्ति वा करदाताको नाममा रहेको सम्पत्ति, निजले गरेको कारोवार र कर एकाईलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सुचना र सो एकईले छानविन गर्दा देखिएका आधारमा करदाताको पहिचान गरिनेछ।

४) कर एकाइले यस ऐन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएका करदाताको विवरण खुलाई करदाता दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ।

५) नेपाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताले कर सम्बन्धी कारोबार गर्दा सोही नम्बरको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

२८. **करदाताको दायित्वः** यस ऐन बमोजिम कर तिर्नु पर्ने कर्तव्य भएका करदाताको देहाय बमोजिमको दायित्व हुनेछः

क. आफूलाई करदाताको रुपमा दर्ता गराउने,

ख. निर्धारित समयमा विवरण पेश गर्ने,

ग. निर्धारित समयमा कर रकम दाखिला गर्ने,

घ. यस ऐन बमोजिम कुनै शुल्क, जरिवाना वा व्याज बुझाउनुपर्ने भए समयमा बुझाउने,

ङ. हिसाव किताब र अभिलेख दुरुस्त राख्ने

च. कर अधिकृतले मागेको सूचना तथ्यांक समयमा उपलब्ध गराउने,

छ. कर एकाईलाई आवश्यक सहयोग गर्ने।

२९. **करदाताको अधिकारः** (१) करदातालाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः

क. सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार,

ख. प्रचलित कानून बमोजिम कर सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार,

ग. कर सम्बन्धी विषयमा प्रमाण पेश गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार,

घ. प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी वा लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार,

ङ. कर सम्बन्धी गोप्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनतिक्रम्य हुने अधिकार।

(२) करदाताले उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको दावी गर्न आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनुपर्नेछ।

३०. **विवरण दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेः** (१) यस ऐन बमोजिम कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले कर विवरण नबुझाएमा वा विवरण दाखिला गर्दा व्यहोरा फरक पारी दाखिला गरेको भनी शंका गर्न सकिने आधार र कारण भएमा कर अधिकृतले आधार र कारण खोली कर विवरण दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ| त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा

सम्बन्धित व्यक्तिले सो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक महिना भित्र कर एकाईमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ।

३१. **विवरण सच्याउन सकिने:** यस परिच्छेद बमोजिमको कर विवरण दाखिला भै सकेपछि कुनै तथ्य सम्बन्धी वा गणितीय भूल भएको भन्ने लागेमा करदाताले पहिला विवरण दाखिला भएको मितिले तीन (३) महिना भित्र यथार्थ, तथ्य र सही अंक सहितको अर्को विवरण पेश गर्न सक्ने छ।

३२. **कर दाखिला गर्नुपर्ने:** (१) यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने कर ऐनमा उल्लेख गरिएकोमा सोही समयमा र समय उल्लेख नभएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्त भित्र कर एकाईमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरि दाखिला गर्नुपर्ने कर कट्टी भएको महिना पछिको महिनाको २५ गते भित्र कर एकाईमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

३३. **कर दाखिलाको निस्सा दिनु पर्ने:** करदाताले यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर वा गैरकर राजस्व वा अन्य रकम बुझाए पछि करदातालाई तत्काल त्यसको निस्सा दिनु पर्नेछ | त्यस्तो निस्सा पत्र, एसएमएस जुनसुकै माध्यमबाट दिन सकिनेछ।

३४. **कर फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था:** (१) करदाताले यस ऐन बमोजिम कर बुझाउँदा तिर्नु पर्ने भन्दा बढी कर दाखिला गरेकोमा सो कर रकम फिर्ता माग गर्न सक्नेछ।

(२) उप दफा (१) फिर्ताको लागि निवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो देखिएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निवेदन परेको एक महिना भित्र माग बमोजिम फिर्ता दिने निर्णय गर्नु पर्नेछ।

३५. **कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था:** (१) करदाताले दफा ३४ बमोजिम फिर्ता पाउने ठहरिएको रकम दाखिला गर्नु पर्ने कर रकममा समायोजन गर्न कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उप दफा (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो देखिएमा कर अधिकृतले निवेदन परेको एक महिना भित्र माग बमोजिम समायोजन गर्न आदेश दिनु पर्नेछ।

३६. **उजुरी नलाग्ने:** यस ऐन बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा त्यस्तो पुनरावलोकन नभई कुनै अदालतमा कुनै उजुर लाग्ने छैन।

३७. **पुनरावेदन दिन सक्ने:** (१) प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय भएकोमा सो मितिले र प्रशासकीय पुनरावलोकन नहुने विषयमा कारण परेको मितिले चित्त नबुझ्ने पक्षले ६० (साठी) दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

(२) जिल्ला अदालत गरेको निर्णय अन्तिम हुने छ।

३८. **अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने:** यस ऐनको प्रयोजनको लागि नगर कार्यपालिकाको अधिकार प्राप्त अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।

३९. **आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने:** संघीय र प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान र संघीय तथा प्रदेश सरकारको कर सम्बन्धी कानून र यो ऐनको प्रावधानलाई कार्यन्वयन गर्न गराउन आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ | यस्तो आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ।

४०. **पुरस्कृत गर्न सक्ने:** (१) नगरपालिकाले यथार्थपरक र विश्वसनीय रुपमा तथा कानूनले तोकेको म्याद भित्र कर विवरण बुझाउने, लागेको कर दाखिला गर्ने र कर अधिकृतले अनुरोध गरेका सूचना उपलब्ध गराउने तीन जना करदातालाई प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न सक्ने छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने पुरस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धुलिखेल नगरपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

४१. **कर परीक्षण र कर निर्धारण:** (१) यस ऐन वमोजिम करदाताले विवरण पेश नगरेको वा पेश गरेको विवरणमा देहायका सबै वा कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा कर अधिकृतबाट कर परीक्षण गरी कर निर्धारण गरिनेछः

(क) खातापाता, हरहिसाव वा अभिलेख दुरुस्त नदेखिएमा।

(ख) गलत वा झुट्टा कागजात/ विवरण संकलन गरेको देखिएमा |

(ग) यथार्थ कारोवार नदेखिएको विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएमा |

(घ) कारोवारका आधारमा करको दायित्व कम देखिएमा |

(ङ) करको दर फरक पारेकोमा |

(च) कानून वमोजिम कर- छुट वा मिनाहा हुन नसक्नेमा पनि सोको दावी गरेकोमा।

(२) उपदफा(१) वमोजिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएमा करदातालाई आधार र कारण खुलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न तीस दिनको सूचना दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम सूचना प्राप्त भएकोमा करदाताले सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) कर अधिकृतले उपदफा (३) वमोजिम तोकिएको म्यादभित्र करदाताले स्पष्टीकरण पेश गरेमा सो समेतलाई आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानुन वमोजिम कर निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(५) स्वयं कर निर्धारण गरी विवरण पेश गरेको मितिले चार वर्ष भित्र कर अधिकृतले पुनः कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने सन्तोषजनक आधार र कारण भएमा करदातालाई सफाईको मौका दिई त्यस्तो कर निर्धारण गर्न सक्ने छ।

४२. **कर निर्धारणको सूचनाः** (१) यस ऐन वमोजिम कर अधिकृतबाट कर निर्धारण भएकोमा बुझाउनु पर्ने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी करदातालाई कर निर्धारणको सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) यस ऐन वमोजिमको कर दाखिला गर्दा निर्धारणको सूचना प्राप्त भएपछि करदाताले सो सूचनामा उल्लेखित स्थान र समय सीमा भित्र कर दाखिला गर्नु पर्ने छ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम कर रकम बैंक दाखिला गरिएकोमा करदाताले त्यसको सम्बन्धित भौचर कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) प्रस्तुत ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखले कर अधिकृतको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ । निजले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रही कार्य गर्नेछ।

४३. **कर संकलन सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) यस ऐन बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने कर, ब्याज र शुल्क वापतको रकम करदाताले यस ऐनमा तोकिएको अवधिमा दाखिला नगरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पूर्व स्वीकृति लिई देहायको एक वा एक भन्दा बढी तरिका वमोजिम कर असुल गर्न सक्नेछ।

(क) करदातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर ।

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाबाट करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर।

(ग) कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नु पर्ने रकम करदाताको पूर्व सहमति लिई कट्टा गरेर।

(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर।

(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर।

(च) करदाताको चल तथा अचल सम्पत्ति माथि दावी वा कब्जा गरेर।

(छ) करदाताको सम्पत्ति एकैपटक वा पटक पटक गरी तोकिय बमोजिम लिलाम विक्री गरेर।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (६) बमोजिम लिलामको कारवाही शुरु भएपछि सो कारवाही समाप्त हुनु पूर्व कर दाखिला गर्न ल्याएमा बुझाउन वाँकी कूल रकमको थप ५ प्रतिशत शुल्क सहित असुल गरिनेछ।

(३) लिलामबाट प्राप्त रकम करदाताले तिर्नु पर्ने कर रकम भन्दा बढी भएमा बढी भए जति रकम साठी दिन भित्र सम्बन्धित करदातालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम रकम फिर्ता गर्दा निजले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ।

४४. **जरिवाना लाग्नेः** यस ऐन पालना नगरी करको दायित्व घटाएमा कर अधिकृतले कर बिगोको दश प्रतिशत जरिवाना गर्न सक्नेछ।

४५. **ब्याज लाग्नेः** यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने कर समयमा दाखिला नगरेमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकमको वार्षिक दश प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ।

४६. **अभिलेख नराखेमा शुल्क लाग्नेः** यस ऐन बमोजिम अभिलेख राख्नुपर्ने कर्तब्य भएका करदाताले अभिलेख नराखेमा रु.१०००/- शुल्क लाग्नेछ।

४७. **समयमा विवरण दाखिला नगरेमा शुल्क लाग्ने** : यस ऐन बमोजिम विवरण दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका करदाताले समयमा विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण रु.१०००।- शुल्क लाग्नेछ।

४८. **झुट्टा विवरण दिएमा शुल्क लाग्नेः** यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएका करदाताले झुट्टा विवरण दाखिला गरी करको दायित्व घटाएमा फरक परेको कर रकम असुल गरी सो को दश प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।

४९. **ब्याज नलाग्नेः** यस ऐन बमोजिम लाग्ने शुल्क ब्याज र जरिवानामा पूनः ब्याज लाग्ने छैन।

५०. **कागजातको ढाँचाः** (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको निर्देशिकामा उल्लेख नभएको वा नतोकिएको कुनै विवरण, ढाँचा, तरिका वा जानकारी सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न उपर्युक्त देखिएमा स्थानीय सरकारले आदेश वा सूचना जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश वा सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि स्थानीय सरकारको कार्यालयको सूचना पाटी, वेबसाइट र स्थानीय पत्र पत्रिकाको मध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिने छ।

५१. **सूचना तामेली रीत पुगेको मानिनेः** (१) यस ऐन बमोजिम दिनु पर्ने म्याद, सूचना वा कागजात देहाय बमोजिम बुझाएमा वा पठाएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको वा दिइएको मानिनेछ।

(क) सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बुझाएको

(ख) निजको परिवारको उमेर पुगेको सदस्यलाई बुझाएको

(ग) नवालिगको हकमा संरक्षक  वा माथवर व्यक्तिलाई बुझाएको

(घ) कार्यालय संस्था वा निकायको हकमा प्रवन्धक वा प्रशासकीय प्रमुखलाई बुझाएको

(ङ) करदाताको ठेगानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको

(२) कर एकाईको अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्युटर प्रविधिबाट ईनस्क्रिप्ट वा इनकोड गरिएको, चाप लगाईएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको, तामेली गरिएको वा दिईएको कागजातलाई रीतपुर्वकको मानिनेछ।

५२. **कार्यविधि बनाउन सक्नेः** (१) ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नगरपालिकाले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम वनेको कार्यविधि वा निर्देशिका सम्वन्धित कार्यपालिकावाट स्वीकृत भई सार्वजनिक भए पछि लागू हुनेछ।

५३. **बाधा अड्काउ फुकाउः** (१) यो ऐनको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै दुविधा उत्पन्न भएमा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार नगर प्रमुखमा रहनेछ। त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउको बिषय कार्यपालिका मार्फत नगर सभामा पेश हुनेछ।

## अनुसूची -१

(ऐनको दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

## सम्पत्ति करको दर

## लेखा कोडः ११३१३ कम्प्युटर कोडः ०००१

| सि.नं. | कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य | वार्षिक दर |
|---|---|---|
| १ | पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको मूल्यांकनमा | एकमुष्ठ रु. २२० |
| २ | थप पैतालीस लाख रुपैयाँ सम्म | प्रति लाख रु. २२ |
| ३ | एकाउन्न लाख देखि एक करोड रुपैयाँ सम्म | प्रति लाख रु. २७ |
| ४ | एक करोड एक लाख देखि दुई करोड रुपैयाँ सम्म | प्रति लाख रु. ३२ |
| ५ | दुई करोड एक लाख रुपैयाँ देखि तीन करोड रुपैयाँ सम्म | प्रति लाख रु. ३७ |
| ६ | तीन करोड एक लाख रुपैयाँ देखि पाँच करोड रुपैयाँ सम्म | प्रति लाख रु. ४२ |
| ७ | पाँच करोड भन्दा माथि | प्रति लाख रु. ४७ |

*नोटः मूल्यांकन रकमलाइ रु.लाखमा (round Figure) मा परिणत गरी करको दर निर्धारण हुनेछ र Round Figure मा लैजाँदा ५० हजार भन्दा कम भए तल्लो अंकमा र वढी भए उपल्लो अंकमा लगिने छ ।*

**धुलिखेल नगरपालिका भित्रका जग्गाको मुल्याङ्कन निम्न बमोजिम गरिनेछः**

**क) हालको वडा नं. १**

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | रवी चमारे छागे अनेकोट सडक | पक्की सडक/ढलान | ४०,०००।- |
| २ | रवी चमारे छागे अनेकोट सडक | कच्ची सडक | ३०,०००।- |
| ३ | डुडाको मुख ० कि.मी. देवीटार अनेकोट सडक | पक्की सडक/ढलान | ४०,०००।- |
| ४ | डुडाको मुख ० कि.मी. देवीटार अनेकोट सडक | कच्ची सडक | ३०,०००।- |
| ५ | पक्की मोटर बाटो सँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | ४०,०००।- |
| ६ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | कच्ची सडक | २०,०००।- |

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| ७ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १२,५००।- |
| ८ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | ६,५००।- |

**ख) हालको वडा नं. २**

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | बनेपा रविओपी पाँचखाल सडक | पक्की सडक/ढलान | ५०,०००।- |
| २ | बनेपा रविओपी पाँचखाल सडक | कच्ची सडक | ३०,०००।- |
| ३ | रवीगाउँ कुत्ताल पंचकन्या सडक | पक्की सडक/ढलान | ५०,०००।- |
| ४ | रवीगाउँ कुत्ताल पंचकन्या सडक | कच्ची सडक | ३०,०००।- |
| ५ | पक्की मोटर बाटो सँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | ४०,०००।- |
| ६ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | कच्ची सडक | २०,०००।- |
| ७ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १२,५००।- |
| ८ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | ६,५००।- |

**ग) हालको वडा नं. ३**

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु - बस पार्क देखि अठ्ठाइ कि.लो. सिमानासम्म | अरनीको हाइ वे | ६,००,०००।- |
| २ | पंचकन्या कुत्ताल रवीगाउँ सडक | पक्की सडक/ढलान | २,००,०००।- |
| ३ | पंचकन्या कुत्ताल रवीगाउँ सडक | कच्ची सडक | ५०,०००।- |
| ४ | पक्कि मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | २,००,०००।- |
| ५ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु - बजार क्षेत्रको ढुंगा छापेको बाटो समेत | कच्ची सडक | ५०,०००।- |
| ६ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो वाटो | १५,०००।- |
| ७ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | ६,५००।- |

## घ) हालको धुलिखेल वडा नं. ४

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु - बस पार्क देखि अठ्ठाइ कि.लो. बनेपाको सिमानासम्म | अरनिको हाइ वे | ६,००,०००।- |
| २ | वि.पी. राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | वि.पी. हाइ वे | ४,७५,०००।- |
| ३ | पक्कि मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | ३,५०,०००।- |
| ४ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु - बजार क्षेत्रको ढुंगा छापेको बाटो समेत | कच्ची सडक | २,००,०००।- |
| ५ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १००,०००।- |
| ६ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | ६५,०००।- |

## ङ) हालको धुलिखेल वडा नं. ५

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | बनेपा पनौती सडकसँग जोडिएका जग्गाहरु | जिल्लास्तरीय सडक | ४,५०,०००।- |
| २ | पक्कि मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | ३,५०,०००।- |
| ३ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु - बजार क्षेत्रको ढुंगा छापेको बाटो समेत | कच्ची सडक | २,००,०००।- |
| ४ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १००,०००।- |
| ५ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | ६५,०००।- |

## च) हालको धुलिखेल वडा नं. ६

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु - बस पार्क देखि अठ्ठाइ कि.लो. बनेपाको सिमानासम्म | अरनिको हाइ वे | ६,००,०००।- |
| २ | वि.पी. राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | वि.पी. हाइ वे | ४,७५,०००।- |
| ३ | पक्कि मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | ३,५०,०००।- |

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| ४ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु - बजार क्षेत्रको ढुंगा छापेको बाटो समेत | कच्ची सडक | २,००,०००।- |
| ५ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १००,०००।- |
| ६ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | ६५,०००।- |

## छ) हालको धुलिखेल वडा नं. ७

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु - बस पार्क देखि खावासम्म | अरनिको हाइ वे | ६,००,०००।- |
| २ | वि.पी. राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | वि.पी. हाइ वे | ४,७५,०००।- |
| ३ | पक्कि मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | ३,५०,०००।- |
| ४ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु - बजार क्षेत्रको ढुंगा छापेको बाटो समेत | कच्ची सडक | २,००,०००।- |
| ५ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १००,०००।- |
| ६ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | ६५,०००।- |

## ज) हालको वडा नं. ८

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु - बस पार्कदेखि खावासम्म | अरनिको हाइ वे | २,००,०००।- |
| २ | पिपलबोट भट्टीडाडा काभ्रे भञ्याङ्ग सडक | पक्की सडक/ढलान | २००,०००।- |
| ३ | पिपलबोट भट्टीडाडा काभ्रे भञ्याङ्ग सडक | कच्ची सडक | १,००,०००।- |
| ४ | खावा वडालगाउँ सरश्वती मा.वी. हुदै मानेगोठ | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| ५ | खावा वडालगाउँ सरश्वती मा.वी. हुदै मानेगोठ | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ६ | हात्तीगौडा कामपानी दारिमबोट पात्लेखेत | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| ७ | हात्तीगौडा कामपानी दारिमबोट पात्लेखेत | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ८ | खावा शिखरकटेरी ठूलीटार कल्छे सडक | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| ९ | खावा शिखरकटेरी ठूलीटार कल्छे सडक | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| १० | पक्की मोटर बाटो सँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| ११ | कच्ची मोटर मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| १२ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १५,०००।- |
| १३ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | १०,०००।- |

## झ) हालको वडा नं. ९

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | वि.पी. राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | वि.पी. हाइ वे | १५०,०००।- |
| २ | काभ्रेभञ्ज्याङ्ग पात्लेखेल नमोबुद्ध सडक | पक्की सडक/ढलान | १५००००।- |
| ३ | काभ्रेभञ्ज्याङ्ग भट्टीडाडा पिपलबोट सडक | पक्की सडक/ढलान | २००००००।- |
| ४ | काभ्रेभञ्ज्याङ्ग भट्टीडाडा पिपलबोट सडक | कच्ची सडक | १,००,०००।- |
| ५ | विपी राजमार्ग ठूलीटार अरनीको राजमार्ग सडक | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| ६ | विपी राजमार्ग ठूलीटार अरनीको राजमार्ग सडक | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ७ | खावा शिखरकटेरी ठूलीटार कल्छे सडक | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| ८ | खावा शिखरकटेरी ठूलीटार कल्छे सडक | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ९ | पक्की मोटर बाटो सँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| १० | कच्ची मोटर मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ११ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १५,०००।- |
| १२ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | १०,०००।- |

## ञ) हालको वडा नं. १०

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | वि.पी. राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | वि.पी. हाई वे | १५०,०००।- |

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| २ | वि.पी. राजमार्ग शारदा बतासे शंखु नमोवुद्ध सडक | पक्की सडक/ढलान | १००००००।- |
| ३ | वि.पी. राजमार्ग शारदा बतासे शंखु नमोवुद्ध सडक | कच्ची सडक | ६०,०००।- |
| ४ | इट्टे फसकोट काभ्रेभञ्याङ्ग सडक | पक्की सडक/ढलान | १००००००।- |
| ५ | इट्टे फसकोट काभ्रेभञ्याङ्ग सडक | कच्ची सडक | ६०,०००।- |
| ६ | पक्की मोटर बाटो सँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | १००,०००।- |
| ७ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | कच्ची सडक | ३०,०००।- |
| ८ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १५,०००।- |
| ९ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | १०,०००।- |

## ट) हालको वडा नं. ११

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | वि.पी. राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | वि.पी. हाइ वे | १५०,०००।- |
| २ | काभ्रेभञ्याङ्ग पात्लेखेल नमोबुद्ध सडक | पक्की सडक/ढलान | १५००००।- |
| ३ | विपी राजमार्ग ठूलीटार अरनीको राजमार्ग सडक | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| ४ | विपी राजमार्ग ठूलीटार अरनीको राजमार्ग सडक | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ५ | पात्लेखेत दारिमबोट कामपानी हात्तीगौडा | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| ६ | पात्लेखेत दारिमबोट कामपानी हात्तीगौडा | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ७ | कल्छे ठूलीटार शिखरकटेरी खावा सडक | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| ८ | कल्छे ठूलीटार शिखरकटेरी खावा सडक | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ९ | पक्की मोटर बाटो सँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | १,००,०००।- |
| १० | कच्ची मोटर मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | कच्ची सडक | ४०,०००।- |
| ११ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १५,०००।- |
| १२ | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | १०,०००।- |

## ठ) हालको वडा नं. १२

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण | सडकको किसिम | प्रति आना रु. |
|---|---|---|---|
| १ | सुन्थान शंखु नमोबुद्ध सडक | पक्की सडक/ढलान | १००,०००।- |
| २ | सुन्थान शंखु नमोबुद्ध सडक | कच्ची सडक | ६०,०००।- |
| ३ | सुन्थान इट्टे पाटीचौर सडक | पक्की सडक/ढलान | १००,०००।- |
| ४ | सुन्थान इट्टे पाटीचौर सडक | कच्ची सडक | ६०,०००।- |
| ५ | वि.पी. राजमार्ग शारदा बतासे शंखु नमोवुद्ध सडक | पक्की सडक/ढलान | १००००००।- |
| ६ | वि.पी. राजमार्ग शारदा बतासे शंखु नमोवुद्ध सडक | कच्ची सडक | ६०,०००।- |
| ७ | पक्की मोटर बाटो सँग जोडिएका जग्गाहरु | पक्की सडक/ढलान | १००,०००।- |
| ८ | कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | कच्ची सडक | ३०,०००।- |
| ९ | गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | गोरेटो बाटो | १५,०००।- |
| १० | अन्य खेत/पाखा समेत | बाटो नभएको | १०,०००।- |

*नोटः माथिको मूल्याङकन विवरणमा कुनै क्षेत्र छुट हुन गएमा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्याङकन पुस्तिकामा उल्लेखीत दर बमोजिम हिसाव गरिनेछ।*

## धुलिखेल नगरपालिका भित्र निर्माण भएका संरचनाको मूल्याङ्कन निम्न बमोजिम गरिनेछः

| सि.नं. | घरको वर्गीकरण | व्यवसायीक घरको मूल्यांकन दर (वर्ग फिट) | आवासीय घरको मूल्यांकन दर वर्ग) (फिट |
|---|---|---|---|
| १ | Steel Frame Structure भएका ठुला भवन | २००० | - |
| २ | भवन ऐन वमोजिम 'क' वर्गको भवनहरु | १८०० | - |
| ३ | RCC Frame Structure | १५०० | १४०० |
| ४ | १४ फिट भन्दा अग्ला ट्रस्टहरु | १२०० | - |
| ५ | सिमेन्टको जोडाई, RCC छाना भएका घर | १२०० | १२०० |

| सि.नं. | घरको वर्गीकरण | व्यवसायीक घरको मूल्यांकन दर (वर्ग फिट) | आवासीय घरको मूल्यांकन दर वर्ग) (फिट |
|---|---|---|---|
| ६ | सिमेन्टको जोडाईको जस्ता, टायलको छाना भएको | १००० | १००० |
| ७ | माटोको जोडाइ जस्ता वा टायलको छाना | ८०० | ८०० |
| ८ | ईटा वा ब्लकले बनेको सेड वा कच्ची घर | ६०० | ६०० |

**धुलिखेल नगरपालिका भित्र निर्माण भएका संरचनाको ह्रास कट्टी निम्न बमोजिम गरिनेछः**

| संरचनाको आयु | संरचनाको किसिम | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Steel Frame Structure भएका ठुला भवन, भवन ऐन वमोजिम 'क' वर्गको भवनहरु, १४ फिट भन्दा अग्ला ट्रस्टहरु | सिमेन्टको जोडाई, RCC छाना भएका घर, सिमेन्टको जोडाई, RCC छाना भएका घर | सिमेन्टको जोडाईको जस्ता, टायलको छाना भएको | माटोको जोडाइ जस्ता वा टायलको छाना | ईटा वा ब्लकले बनेको सेड वा कच्ची घर |
| १-३ बर्ष | ६ | ९ | १२ | १५ | २० |
| ४-६ बर्ष | १२ | १८ | २४ | ३० | ४० |
| ७-९ बर्ष | १८ | २७ | ३६ | ४५ | ५० |
| १०-१२ बर्ष | २४ | ३६ | ४८ | ५० | ५० |
| १३-१५ बर्ष | ३० | ४५ | ५० | ५० | ५० |
| १६-१८ बर्ष | ३६ | ५० | ५० | ५० | ५० |
| १९-२१ बर्ष | ४२ | ५० | ५० | ५० | ५० |
| २२-२४ बर्ष | ४८ | ५० | ५० | ५० | ५० |
| २५-२७ बर्ष | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० |
| २८-३० बर्ष | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० |
| ३१-३३ बर्ष | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० |
| ३४-३६ बर्ष | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० |
| ३७-४० बर्ष | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० |

| संरचनाको आयु | संरचनाको किसिम | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Steel Frame Structure भएका ठुला भवन, भवन ऐन वमोजिम 'क' वर्गको भवनहरु, १४ फिट भन्दा अग्ला ट्रस्टहरु | सिमेन्टको जोडाई, RCC छाना भएका घर, सिमेन्टको जोडाई, RCC छाना भएका घर | सिमेन्टको जोडाईको जस्ता, टायलको छाना भएको | माटोको जोडाइ जस्ता वा टायलको छाना | ईटा वा ब्लकले बनेको सेड वा कच्ची घर |
| ४१-४३ बर्ष | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० |
| ४४-४६ बर्ष | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० |
| ४७ बर्ष भन्दा माथि | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० |

## अनुसूची -२

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बन्धित)

## भूमीकर (मालपोत) दर

## लेखा कोडः ११३१४ कम्प्युटर कोडः ०००२

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | साविक धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्रका लाई असुली बक्याता मालपोत | प्रति रोपनी | रु. २०।४८ | |
| २ | वडा नं १,२,९,१०,११,र १२, को मालपोत असुली वक्यौता ग्रामिण क्षेत्रको लागि | प्रति रोपनी | रु. १०।- | |

**अनुसूची -३**

(ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

## घर जग्गा बहाल करको दर

## लेखा कोडः ११३२१ कम्प्युटर कोडः ०००४

### घर भाडा कर

धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तबरले बहालमा दिएकोमा बहाल रकममा १०% प्रतिशतका दरले बहाल कर लिइने छ । बहाल कर प्रयोजनको लागि बहाल रकम निम्न बमोजिम निर्धारण गरिनेछः

१) धुलिखेल नगरपालिकाले निर्धारण गरेको न्यूनतम अंकमा नघटाई सम्झौता गरी घर बहालमा लगाएकोमा वा स्वःघोषणा पत्रमा खुलाएमा सोही बमोजिम मासिक घर भाडा कायम गरिनेछ ।

२) घर वहाल कर प्रयोजनको लागि धुलिखेल नगरपालिकाले अर्धशहरी क्षेत्रको लागि रु १०००।- प्रति महिना र शहरी क्षेत्रको आवाशीय घरको लागि रु २०००।- तथा पसल प्रयोजनको लागि रु ३०००।- प्रति महिना न्यूनतम बहाल मुल्य कायम गरिएकोछ।

३) अर्ध शहरी क्षेत्र भन्नाले वडा नं १, २, ३, ८, ९, १०, ११ र १२ लाई जनाउँदछ। तर अरनिको राजमार्ग, वि पी राजमार्ग र नगरस्तरको बाटोले छोएको वा राजमार्ग वाट २०० मिटर भित्रको क्षेत्रलाई शहरी क्षेत्रनै कायम गरिनेछ ।

**अनुसूची -४**

(ऐनको दफा ४ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित)

## सरकारी सम्पत्ती प्रयोगबाट प्राप्त हुने भाडा १४१५१

## लेखा कोडः १४१५१ कम्प्युटर कोडः ३०३६

| सि.नं. | विवरण | इकाई | कम्प्युटर कोड | दररेट |
|---|---|---|---|---|
| १ | जेटिङ मेशिन / सक्शन मेशिन (नगरपालिका क्षेत्रभित्र) | प्रति ट्रिप | ३०५३ | ६०००।- |

| सि.नं. | विवरण | इकाई | कम्प्युटर कोड | दररेट |
|---|---|---|---|---|
| २ | जेटिङ मेशिन /सक्शन मेशिन (नगरपालिका क्षेत्र बाहिर पनौती र बनेपा) | प्रति ट्रिप | ३०४५ | ९०००।- |
| ३ | ट्याङ्कर (नगरपालिका क्षेत्रभित्र) | प्रति ट्रिप | ३०६३ | ४०००।- |
| ४ | ट्याङ्कर (नगरपालिका क्षेत्रबाहिर (पनौती र बनेपा) | प्रति ट्रिप | ३०३२ | ७०००।- |
| ५ | जेटिङ मेशिन /सक्शन मेशिन (नगरपालिका क्षेत्रबाहिर पाँचखाल न मा अरनिको.पा. लोकमार्ग सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटर भित्रसम्म) | प्रति ट्रिप | ३०४६ | १२०००।- |
| ६ | जेटिङ मेशिन वनेपा-सिन्धुलि-बर्दिवास भकुण्डे सम्मको लागि मुख्य सडकको दायाँ वायाँ १०० मिटर भित्र | प्रति ट्रिप | ३०४७ | १५०००।- |
| ७ | ब्याकहू- लोडर | प्रतिघण्टा | ३०४४ | १२००।- |
| ८ | ब्याकहू- लोडरलाई ग्रिज | प्रतिदिन | | १०००।- |
| ९ | ब्याकहू- लोडरलाई तेल | प्रति घण्टा | | १० लिटर |
| १० | ट्रस्ट हल भाडा प्रति दिन | | ३०३३ | ४०००।- |

## अनुसूची -५

(ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

## ब्यवसाय इजाजत (दर्ता, नबिकरण) दस्तुरको दर

**लेखा कोडः १४६११ कम्प्युटर कोडः ११५१**

| सि.नं. | ब्यवसायको किसिम | इकाई | दस्तुर | कै |
|---|---|---|---|---|
| क | खुद्रासाधारण/ पसल | बार्षक नविकरण | २००।- | |
| ख | थोक पसलअन्य ठूला पसल/ | बार्षक नविकरण | ५००।- | |
| ग | उत्पादनमूलक विशेषज्ञ परामर्श, निर्माण व्यावसायि अन्य व्यवसायिक पेशामा | बार्षक नविकरण | ५००।- | |
| घ | उद्योग | बार्षक नविकरण | १०००।- | |

| सि.नं. | ब्यवसायको किसिम | इकाई | दस्तुर | कै |
|---|---|---|---|---|
| ङ | वित्तीय सेवाबैक/ | बार्षक नविकरण | १०००।- | |
| च | स्वास्थ्य सेवा | बार्षक नविकरण | १०००।- | |
| छ | विश्वविद्यालय | बार्षक नविकरण | २०००।- | |
| ज | विद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्र | बार्षक नविकरण | १०००।- | |
| झ | पर्यटकीय स्तरका होटल व्यवसाय | बार्षक नविकरण | १०००।- | |
| ञ | अन्य होटल व्यवसाय/होमस्टे | बार्षक नविकरण | ५००।- | |
| ट | एफ एम रेडियो | बार्षक नविकरण | १०००।- | |
| ठ | पेट्रोल पम्प | बार्षक नविकरण | १०००।- | |

## अनुसूची -६

(ऐनको दफा (५) को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित)

## ब्यवसायकर प्रयोजनको लागि बर्गिकरण १४६११

### क) खुद्रा/साधारण पसल

(१) चामल/नुन/तेल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु बेचविखन गर्ने साधारण खुद्रा पसल (२) तरकारी/फलफुल लगायतका (३) साधारण चिया पसल (४) टेलरिङ, खेलौना, सैलुन, व्युटी पार्लर, उपहार, गिफ्ट बिक्रेता लगायतका साना पसल (५) अन्य साना तथा मझौला खालका पसल

### ख) थोक पसल/अन्य ठूला पसल

(१) चुरोट/रक्सी समेतका डिलर तथा थोक पसल (२) ज्वेलरी पसल, निर्माण सामाग्री बिक्रेता, दैनिक खाद्य सामाग्री विक्री गर्ने थोक विक्रेता (३) पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल पम्प), विद्युतीय सामाग्री, कार्पेट पसल, ग्यास डिपो (५) रेष्टुरेन्ट/क्याफे/चमेनागृह समेत/खानाखाने होटल समेत (६) अन्य ठूला तथा थोक पसल

### ग) विशेषज्ञ परामर्श, निर्माण व्यावसायी अन्य व्यवसायिक पेशा

(१) स्वीकृत चिकित्सक (२) ईन्जिनियर/काउन्सिलमा दर्ता भएको ईन्जिनियर (३) कानून व्यवसायी (४) अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता (५) ओभरसिज (६) शेयर दलाल, सहजकर्ता, निर्माण व्यवसायी

## घ) उद्योग

(१) प्लाष्टिक पोलिमर्श उद्योग (२) होजियारी उद्योग (३) अन्य उत्पादनमूलक उद्योग (४) फर्निचर उद्योग (सानो) कुटानी, पिसानी, पेलानी, मिल (५) छापाखाना (६) सिमेन्ट ब्लक, रिङ र टायल उद्योग, इट्टा, बालुवा, रोडा बिक्रि केन्द्र (६) अन्य उद्योग

## ङ) वित्तीय सेवा/बैंक

(१) वाणिज्य बैंकहरु (२) सहकारी संस्था बैंकिङ कारोबार गर्ने (३) वित्तीय सहकारी/फाईनान्स/लघुवित्त बैंक

## च) स्वास्थ्य सेवा

(१) गैर सरकारी अस्पताल (२) नर्सिङ होम (३) क्लिनिक तथा ल्याब

## छ) विश्वविद्यालय

(१) निजी क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरु

## ज) विद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्र

(१) निजी क्षेत्रका आधारभूत विद्यालय, मा.वि. (२) निजी क्षेत्रका क्याम्पस (३) तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र (४) टाईपिङ कम्प्यूटर तथा भाषा प्रशिक्षण

## झ) पर्यटकीयस्तरका होटल व्यवसाय

(१) "क" वर्गको होटल तथा रिसोर्ट (स्वीमिङ्ग पुल, स्पा, ध्यान केन्द्र सहित सुविधा भएको) (२) अन्य वर्गको होटल तथा रिसोर्टको (रेष्टुरेन्ट सुविधा सहित बस्ने ब्यवस्था भएको होटल) (३) रेष्टुरेण्ट/फास्टफुड भान्छाघर पार्टी प्यालेस, पार्टी भेन्यू, पार्टी बैंङक्वेट, तालिम केन्द्र

## ञ) अन्य होटल व्यवसाय/होमस्टे

(१) भोजनालय (२) मिठाई पसल (३) चिया चमेना पसल (४) होमस्टे

**अनुसूची -७**

(ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)

## ब्यवसाय करको दर

## लेखा कोडः १४६११ कम्प्युटर कोडः ०००३

**अनुसूची-४ बमोजिम नवीकरण रकमका अतिरिक्त निम्न बमोजिमको दरमा ब्यवसाय कर लाग्नेछः**

### १) पर्यटकीयस्तरका होटलमा लिने ब्यवसाय कर १४६११

| सि. नं. | होटलको किसिम | इकाई | आधार | कै |
|---|---|---|---|---|
| १ | "क" वर्गको होटल तथा रिसोर्ट (स्वीमिङ्ग पुल, स्पा, ध्यान केन्द्र सहित सुविधा भएको) | बार्षिक | कोठा संख्या x ७०००।- | |
| २ | अन्य वर्गको होटल तथा रिसोर्टको (थप २० कोठा भन्दा माथि) | बार्षिक | कोठा संख्या x ५०००।- | |
| ३ | अन्य वर्गको होटल तथा रिसोर्ट (थप १० देखि २० कोठा सम्मको) | बार्षिक | कोठा संख्या x ३०००।- | |
| ४ | अन्य वर्गको होटल तथा रिसोर्ट (रेष्टुरेन्ट सुविधा सहित १० कोठा सम्मको) | बार्षिक | कोठा संख्या x २०००।- | |

**गणना विधीः**

**<u>अन्य वर्गको होटल तथा रिसोर्ट</u>**

यदि ७ कोठा सम्मको रहेछ भने

जस्तो ७ कोठा रहेछ भने ७ कोठा x २००० = १४०००

यदि १८ कोठा सम्मको रहेछ भने

१० कोठाको १० कोठा x २००० = २००००

बाकीको ८ कोठाको ८ कोठा x ३००० = १६०००

जम्मा ३६०००

यदि ३५ कोठा सम्मको रहेछ भने

| | |
|---|---|
| १० कोठाको | १० कोठा x २००० = २०००० |
| २० कोठाको | २० कोठा x ३००० = ६०००० |
| बाँकोको ५ कोठाको | ५ कोठा x ५००० = २५००० |
| | जम्मा १०५००० |

**"क" वर्गको होटल तथा रिसोर्ट (स्वीमिङ्ग पुल, स्पा, ध्यान केन्द्र सहित सुविधा भएको)**

जति सुकै कोठा भए पनि प्रति कोठा प्रति वर्ष बार्षिक ७०००

जस्तै ५० कोठाको रहेछ भने

५० कोठाको ५० कोठा x ७००० = ३५००००

## २) उद्योग क्षेत्रको ब्यवसायमा लिने कर १४६११

| लगानी | | कारोबार | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| लगानी अंक | करको दर | कारोवार अंक | करको दर | खुद कर निर्धारण |
| न्यूनतम | रु ५००।- | न्यूनतम | रु ५००।- | लगानी र कारबार समेत बाट निर्धारण हुने रकम जोडी ब्यवसाय कर कायम गरिनेछ। |
| ५ लाख सम्म | ०.२५ प्रतिशत | २० लाख सम्म | १००० | |
| ५ लाख माथि जति भए पनि | थप प्रति लाख रु ५० | २० लाख माथि जति भए पनि | थप ४० प्रति लाख | |

## ३) बाणिज्य ब्यापार र सेवा क्षेत्रको ब्यावसायमा लिने कर १४६११

| लगानी | | कारोबार | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| लगानी अंक | करको दर | कारोवार अंक | करको दर | खुद कर निर्धारण |
| न्यूनतम | रु ५००।- | न्यूनतम | रु ५००।- | लगानी र कारोबार समेत बाट निर्धारण हुने रकम जोडी ब्यवसाय कर कायम गरिनेछ। |
| ५ लाख सम्म | ०.५ प्रतिशत | २० लाख सम्म | १०००।- | |
| ५ लाख माथि जति भए पनि | थप प्रति लाख रु १०० | २० लाख माथि जति भए पनि | थप ५० प्रति लाख | |

## ४) बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्यवसाय कर  १४६११

| सि. नं. | ब्यवसायको किसिम | इकाई | दर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | वर्गको बाणिज्य बैंक "क" | बार्षिक | ५००००।- | |
| २ | वर्गको बाणिज्य बैंक "ख" | बार्षिक | ३५०००।- | |
| ३ | फाइनान्स | बार्षिक | २००००।- | |
| ४ | सहकारी | बार्षिक | ५०००।- | |

## ५) ब्यवसाय कर (निजी) विद्यालय १४६११

| सि. नं. | विद्यालयको किसिम | इकाई | दर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | मन्टेश्वरी / प्रा वि | | ५,०००।- | |
| २ | नि मा वि | | ७,५००।- | |
| ३ | मा वि र उमावि | | १०,०००।- | |
| ४ | होस्टल सहितको मा वि | | १५,०००।- | |

## ६) जिप लाइन ब्यवसाय कर १४६११

| सि. नं. | विद्यालयको किसिम | इकाई | दर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | प्रति ब्यक्ति टिकटमा | प्रति व्यक्ति | १००।- | |

## ७) एफ एम रेडियो ब्यवसाय कर १४६११

| सि. नं. | विद्यालयको किसिम | इकाई | दर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | एफ एम रेडियो ब्यवसाय | बार्षिक | २००००।- | |

## ८) पेट्रोल पम्प ब्यवसाय कर १४६११

| सि. नं. | विद्यालयको किसिम | इकाई | दर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | पेट्रोल पम्प ब्यवसाय | बार्षिक | २००००।- | |

## ९) परामर्श सेवा ब्यवसाय कर १४६११

| सि. नं. | विद्यालयको किसिम | इकाई | दर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | नक्सा डिजाइन तथा घर निर्माण सम्बन्धी परामर्श | बार्षिक | ६०००।- | |
| २ | अन्य परामर्श सम्बन्धी ब्यवसाय | बार्षिक | ६०००।- | |

## १०) होमस्टे ब्यवसाय कर १४६११

| सि. नं. | विद्यालयको किसिम | इकाई | दर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | होमस्टे | बार्षिक | कोठा संख्या x १०००।- | |

**अनुसूची -८**

(ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## जडिबुटी, कवाडी, जीवजन्तु करको दर

### क) धातुका टुक्राहरु र पत्रु भई काम नलाग्ने भएका धातुका सामानमा निम्न बमोजिक कर

**लेखा कोडः १४५२९ कम्प्युटर कोडः ३०४९**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कै |
|---|---|---|---|---|
| १ | फलाम | प्रति के.जी. | रु. १। (एक रुपैयाँ) | |
| २ | अन्य धातु (पित्तल, तामा आदि) | प्रति के.जी. | रु. २।- (दुई रुपैयाँ) | |
| ३ | थोत्रिएर काम नलाग्ने मेसिनरी औजार | प्रति के.जी. | रु. २।- (दुई रुपैयाँ) | |
| ४ | पोलिथिन पाइपका टुक्रा | प्रति के.जी. | रु. २।- (दुई रुपैयाँ) | |
| ५ | सिसा (लिड) को धुलो वा टुक्रा | प्रति के.जी. | रु. ३।- (तिन रुपैयाँ) | |
| ६ | काँचको धुलो र टुक्रा | प्रति के.जी. | रु. १।- (एक रुपैयाँ) | |

**ख) प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका पंछिहरुको प्वाँख तथा मरेका वा मारिएका पशुको हाड, सिंग, खुर तथा छालामा निम्न बमोजिम कर**

**लेखा कोडः ११६३२ कम्प्युटर कोडः ३०४८**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | पंछिहरुका प्वाँख | प्रति केजि. | रु. २।- (दुई रुपैयाँ) | |
| २ | हाड | प्रति केजि. | रु. १।- (एक रुपैयाँ) | |
| ३ | सिंग | प्रति केजि. | रु. २।- (दुई रुपैयाँ) | |
| ४ | खुर | प्रति केजि. | रु. २।- (दुई रुपैयाँ) | |
| ५ | छाला ठूलो | प्रति गोटा | रु. ३०।- (तिस रुपैयाँ) | |
| ६ | छाला सानो | प्रति गोटा | रु. १५।- (पन्ध्र रुपैयाँ) | |

**ग) अन्य कवाडी मालसामान १४५२९**

**लेखा कोडः १४५२९ कम्प्युटर कोडः ३०५९**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | खाली सीसी (वियर) वोतलको साइज हेरी | प्रति गोटा | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |
| २ | खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा माथि | प्रति गोटा | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |
| ३ | खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा तल | प्रति गोटा | ०।१५ (पन्द्र पैसा) | |
| ४ | प्लाष्टिक (बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता, चपल, ग्यालन र जर्किन आदि) | प्रति के.जी | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |
| ५ | खाली बोराः | | | |
| क | ५० के.जी सम्म खाध्यान्न अट्ने प्लाष्टिकका बोरा | प्रति गोटा | ०।१५ (पन्द्र पैसा) | |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ख | ५० के.जी. सम्म खाध्यान्न अट्ने जुटका बोरा | प्रति गोटा | ०।१५ (पन्द्र पैसा) | |
| ग | १०० के.जी. सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका | प्रति गोटा | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |
| ६ | तेलको टिनः | | | |
| क | १० लिटरभन्दा बढी अट्ने ठूलो | प्रति गोटा | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |
| ख | १० लिटरभन्दा कम अट्ने सानो | प्रति गोटा | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |
| ग | थोत्रो टिन लगायतको कवाडी सामान | प्रति के.जी. | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |
| घ | पुरानो ड्रम | गोटा | रु. ५।- (पाँच रुपैयाँ) | |
| ङ | पुराना कागज (अखबार, न्यूजप्रिन्ट) | प्रति के.जी. | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |
| च | पुराना अन्य कागज (कार्टुन समेत) | प्रति के.जी. | ०।२५ (पच्चीस पैसा) | |

## अनुसूची -९

(ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

## सवारी साधन करको दर

**क) बार्षिक सवारी करः**

**लेखा कोडः ११४५१ कम्प्युटर कोडः ०००५**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | बार्षिक कर | रुट प्रमिट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | विद्युतीय रिक्सा | बार्षिक | ५०००।- | ५००।- | |

## ख) पटके सवारी कर ११४५२

### लेखा कोडः ११४५२ कम्प्युटर कोडः ०००७

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | ट्रक,वस,हेभी ट्र्याक्टर | पटके | रु ५०।- (पचास रुपैयाँ) | |
| २ | मिनिबस, मिनि ट्रक, ट्र्याक्टर | पटके | रु ३०।- (तीस रुपैयाँ) | |
| ३ | निजी कार,जीप,डेलिभरीभ्यान पावर टेलर, टेम्पो | पटके | रु २०।- (बीस रुपैयाँ) | |

*द्रब्टष्यः एम्बुलेन्स र शववाहनमा उक्त कर नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।*

## अनुसूची -१०

(ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## विज्ञापन करको दर

### लेखा कोडः ११४७२ कम्प्युटर कोडः ०००८

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | विद्युतीय/डिजीटल होर्डिङ बोर्ड | प्रति वर्ग फिट | २५०।- | बार्षिक |
| ३ | डिजीटल डिस्प्ले बोर्ड तथा डिजीटल स्क्रीन | प्रति वर्ग फिट | २५०।- | बार्षिक |
| ४ | पोल ब्यानर/फ्लेक्स वोर्ड | प्रति गोटा | १००।- | मासिक |
| ५ | होर्डिग बोर्ड, पोल बोर्ड, डी.पी.एस.बोर्ड, ग्लो साईन बोर्ड | प्रति वर्ग फिट | ५०।- | मासिक |
| ६ | भित्ते लेखन २ बर्ग फिट सम्म | प्रति वर्ग फिट | ५०।- | मासिक |
| ७ | फ़्लेक्स प्रिन्ट ब्यानर /कपडा ब्यानर ६ बर्ग फिट सम्म | प्रति गोटा | २००।- | मासिक |
| ८ | जुनसुकै स्थानमा व्यवसाय राखी न.पा. क्षेत्र भित्र ब्यानर, कपडा वा अन्य अस्थायी समान प्रयोग गरि बिज्ञापन गरेको हकमा २ मि.भन्दा बढी को लागि प्रतिगोटा | प्रतिगोटा | १०००।- | मासिक |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ९ | कार्यक्रम/समारोह/सन्देशमूलक/ जनचेतनामूलक/ राजनीति दलको ब्यानर/पर्चा/पम्पेप्ट ब्यानर अनुमति लिई राखेमा | | निःशुल्क | |

## अनुसूची -११

(ऐनको दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## वहाल बिटौरी शुल्कको दर

**लेखा कोडः ११३२२ कम्प्युटर कोडः ०००६**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा, पसल आदि प्रत्येक टहरा प्रति वर्ग फिट | मासिक | १०।- | |
| २ | सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका तरकारी, बदाम लगायतका पसल तथा ठेलागाडा प्रति पसल | प्रतिदिन | ३०।- | |
| ३ | नगरपालिका कार्यालय परिसर चौर | प्रति दिन | २५००।- | |

## अनुसूची -१२

(ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## पार्किङ्ग शुल्कको दर

**लेखा कोडः १४२४१ कम्प्युटर कोडः ३०४१**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| क | हेलिकप्टर ल्याण्ड | पटक | ५०००।- | |
| ख | बस, ट्रक, लोहरी | दैनिक | ६०।- | |
| ग | कार, जीप, ट्याक्टर आदि | दैनिक | ३०।- | |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| घ | मोटरसाईकल, स्कुटर, ट्याम्पो, ठेलागाढा, रिक्सा आदि | दैनिक | १०।- | |

*नोटः- सरकारी कामका शुल्क नलिने भनी तोकिएका संघ सस्था हरुका हकमा उल्लेखित शुल्क लिईने छैन/न.पा.बाट पुर्ववत रुपमा भएका पार्किङ शुल्क सम्बन्धी सहमतिहरु यथावत कायम रहनेछन्।*

## अनुसूची -१३

(ऐनको दफा १२ को उपदफा (१), (२) र (३) सँग सम्बन्धित)

## हजार सिढी तथा टुँडिखेलमा चलचित्र छायाँकन तथा प्रवेश शुल्क

**लेखा कोडः १४२१९ कम्प्युटर कोडः ३०४०**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | हजार सिढी तथा टुँडिखेल क्षेत्रभित्र स्वदेशी चलचित्र छायाँकन गरेको | प्रति दिन | १५००।- | |
| २ | भ्युटावर- क्षेत्रमा स्वदेशी चलचित्र छायाँकन गरेको | प्रति दिन | १५००।- | |
| क | २५ जनाका लागि | प्रति दिन | १५०।- | |
| ख | २६ देखि ५० जनासम्म | प्रति दिन | ३००।- | |
| ग | ५१ देखि १०० जनासम्म | प्रति दिन | ६००।- | |
| घ | १०१ देखि १५० जनासम्म | प्रति दिन | १०००।- | |
| ङ | १५१ देखि माथि | प्रति दिन | १५००।- | |
| ३ | प्रवेश शुल्क निम्न दरमा उठाउनु पर्ने छ | | | |
| क | सवारीसाधन भित्र रहेका वा पैदल हिड्ने प्रतिव्यक्ति पटके | प्रति दिन | २०।- | |
| ख | सवारीसाधन भित्र रहेका वा पैदल हिड्ने विद्यार्थी पटके | प्रति दिन | १०।- | |
| ग | बिदेशी व्यक्ति प्रतिव्यक्ति | प्रति दिन | १००।- | |
| घ | सार्क राष्ट्र प्रतिव्यक्ति | प्रति दिन | ५०।- | |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ४ | क्याट्रिङ्ग सेवा दिईए बापत लाग्ने शुल्क | | | |
| क | २५ जना सम्मको लागि | प्रति दिन | ३५०।- | |
| ख | २६ देखि ५० जनासम्म | प्रति दिन | ५००।- | |
| ग | ५१ देखि १०० जनासम्म | प्रति दिन | ७००।- | |
| घ | १०१ देखि २०० जनासम्म | प्रति दिन | १२००।- | |
| ङ | २०१ देखि माथि | प्रति दिन | १५००।- | |
| ५ | सरसफाई शुल्क थप | | | |
| क | २५ जनाका लागि | प्रति दिन | ५०।- | |
| ख | २६ देखि ५० जनासम्म | प्रति दिन | १००।- | |
| ग | ५१ देखि १०० जनासम्म | प्रति दिन | १५०।- | |
| घ | १०१ देखि १५० जनासम्म | प्रति दिन | २००।- | |
| ङ | १५१ देखि माथि | प्रति दिन | ५००।- | |
| ६ | सिनेमा हल, सांस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर सङ्गीत, मनोञ्जन प्रदर्शनस्थल | बार्षिक | पाँच प्रतिशत | |
| ७ | जादू, सर्कस, चटक | दैनिक | ५००।०० | |

नोटः माथिको विवरणमा नसमेटिएको क्षेत्रमा मनोरंजन कर संकलन गर्नु पर्दा नगर प्रमुखले तोके बमोजिम संकलन गरी, आगामी नगर सभामा यसको दर रेट अनुमोदनको लागि पेश गर्नु पर्ने छ।

## अनुसूची -१४

(ऐनको दफा १२ को उपदफा (१), (२) र (३) सँग सम्बन्धित)

## सेवा शुल्क तथा दस्तुरको दर

### निसुःक सेवा

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सम्पुर्ण सिफारिस | | | निःशुल्क |
| २ | दैवि प्रकोप सिफारिस | | | निःशुल्क |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| ३ | उपचार सम्बन्धी सम्पूर्ण सिफारिस | | | निःशुल्क |
| ४ | गरिव तथा असहाय सिफारिस | | | निःशुल्क |
| ५ | जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, सम्बन्ध बिच्छेद (३५ दिन भित्र दर्ता गरेमा) | | | निःशुल्क |
| ६ | विपन्न विद्यार्थी छात्र वृत्ति सिफारिस | | | निःशुल्क |
| ७ | आर्थिक आवस्था कमजोर वा बिपन्नता प्रमाणित | | | निःशुल्क |

## सडक बत्ती शुल्क १४२१८

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | सडक बत्ती शुल्क | बार्षिक | ३०१७ | २००।- |

## विपद व्यवस्थापन शुल्क १४२१९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | विपद व्यवस्थापन शुल्क | बार्षिक | ३०१५ | १००।- |

## डिपबोरिङ्ग शुल्क १४२१९

### (क) डिपबोरिङ्ग अनुमति शुल्क

१) सेवा मुलक व्यवसायिक संस्थाहरुको लागि (एक भन्दा वढी वडाहरु समेटेर खानेपानी वितरण गर्ने उपभोक्ता समिति वा शैक्षिक तथा अन्य संघ संस्थाहरुको लागि) ५०,०००।००

२) ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि (होटल व्यवसाय, मिनिरल वाटर फ्याक्ट्री, ट्रङ्कर मार्फत खानोपानी वितरण तथा अन्य व्यवसायिक प्रयोजनको लागि) १००,०००।००

**(ख) डिपबोरिङ्ग बार्षिक शुल्कः** बार्षिक शुल्क निर्धारण डिप वोरिङ्गबाट उत्पादन हुने पानी तथा सोको लागि जडान भएको मेसिन वा पम्पको क्षमताको आधारमा बार्षिक शुल्क निम्न बमोजिम

| पम्पको क्षमता | सेवामूलक व्यवसायिक संस्था | ब्यवसायिक प्रयोजन |
|---|---|---|
| १० हर्स पावर सम्म | २५,०००।०० | ५०,०००।०० |
| १० भन्दा माथि २० हर्स पावर सम्म | ३५,०००।०० | ७५,०००।०० |
| २० भन्दा माथि ३० हर्स पावर सम्म | ७५,०००।०० | १५०,०००।०० |
| ३० हर्स पावर भन्दा माथि | १५०,०००।०० | ३००,०००।०० |

## शौचालय प्रयोग शुल्कः लेखा कोड १४२१९ कम्प्युटर कोडः ००१

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | न.पा.का स्वामित्वमा रहेका शौचालयहरु प्रयोग गरेबापत | | | |
| क | दिशा | पटक | | १०।- |
| ख | पिसाब | पटक | | ५।- |
| ग | स्नान | पटक | | ५०।- |
| २ | गाडी सरसफाई प्रति गाडी | पटक | | १५०।- |

## न्यायीक दस्तुरः लेखा कोड १४२२१ कम्प्युटर कोडः ११३८

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | उजुरी दर्ता फि | पटक | | २००।- |
| २ | प्रतिवाद दस्तुर | पटक | | १००।- |
| ३ | नक्कल दस्तुर (५ पाना सम्म) | एकमुष्ठ | | २५।- |
| ४ | नक्कल दस्तुर (५ पाना भन्दा माथि) | प्रति पाना | | ५।- |
| ५ | मिलापत्र दस्तुर | पटक | | १००।- |
| ६ | अन्य न्यायिक दस्तुर | पटक | | १००।- |
| ७ | वकालत सम्वन्धी इजाजत पत्र सम्बन्धी दस्तुर | पटक | | ५००।- |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|

## निवेदन तथा फाराम विक्री दस्तुर १४२२९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | सबै प्रकारका निवेदन दस्तुर | पटक | १००२ | २५।- |
| २ | दरभाउपत्र फाराम विक्री | पटक | ३०४३ | १०००।- |
| ३ | बोलपत्र फाराम विक्री | पटक | ३०३० | ३०००।- |
| ४ | नक्सापास किताव | गोटा | ३०५४ | १०००।- |

## चार किल्ला प्रमाणित दस्तुर १४२४३

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| क | राष्ट्रिय राजमार्ग अरनिको राजमार्ग, सिन्धुली बर्दिवास राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | | | |
| १ | ८ आना सम्म | पटक | ११३५ | ८००।- |
| २ | ८ आना-१ रोपनीसम्म | पटक | ११३६ | १०००।- |
| ३ | १ रोपनीमाथि प्रतिरोपनी | पटक | ११३७ | १२००।- |
| ख | अन्य पक्की/ढलान बाटो जोडिएका जग्गाहरु | | | |
| १ | ८ आना सम्म | पटक | १०३८ | ६००।- |
| २ | ८ आना-१ रोपनीसम्म | पटक | १०३९ | ८००।- |
| ३ | १ रोपनीमाथि प्रतिरोपनी | पटक | १०४० | १०००।- |
| ग | कच्ची सडकले छोएका जग्गाहरु | | | |
| १ | ८ आना सम्म | पटक | १०४१ | ३००।- |
| २ | ८ आना-१ रोपनीसम्म | पटक | १०४२ | ४००।- |
| ३ | १ रोपनीमाथि प्रतिरोपनी | पटक | १०४४ | ६००।- |
| घ | गोरेटो बाटो | | | |
| १ | ८ आना सम्म | पटक | १०४५ | २५०।- |
| २ | ८ आना-१ रोपनीसम्म | पटक | १०४६ | ३००।- |
| ३ | १ रोपनीमाथि प्रतिरोपनी | पटक | १०४७ | ५००।- |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| ङ | बाटोले नछोएका जग्गाहरु | | | |
| १ | ८ आनासम्म | पटक | १०४८ | २००।- |
| २ | ८ देखि १ रोपनी सम्म | पटक | १०४९ | ३००।- |
| ३ | १ रोपनी-६ रोपनीसम्म | पटक | १०५० | १०००।- |
| ४ | ६ रोपनी-१० रोपनीसम्म | पटक | १०५१ | १८००।- |
| ५ | १० रोपनी-१५ रोपनीसम्म | पटक | १०५२ | २५००।- |
| ६ | १५ रोपनी माथि प्रतिरोपनी | पटक | १०५३ | १००।- |

**घरबाटो प्रमाणित दस्तुर (अंश प्रयोजनका लागि लाग्ने दस्तुरको पचास प्रतिशत मात्र लिने)**
**१४२४३**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| क | अरनिको लोकमार्ग र विपि राजमार्गले छोएका जग्गाहरु | | | |
| १ | चार आनासम्मको लागि | | १०५४ | ५००।- |
| २ | आठ आनासम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०५६ | १०००।- |
| ३ | एक रोपनी सम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०५७ | १५००।- |
| ४ | एक रोपनी देखि तीन रोपनी सम्म | प्रति रोपनी | १०५८ | ३०००।- |
| ५ | तीन रोपनी देखि छ रोपनीसम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०६० | ५०००।- |
| ६ | पाँच रोपनीदेखि १० रोपनीसम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०६१ | ७०००।- |
| ७ | दश रोपनीभन्दा माथिको लागि थप | प्रति रोपनी | १०६२ | २०००।- |
| ख | पक्की मोटरबाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | | | |
| १ | चार आनासम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०६३ | ३००।- |
| २ | आठ आनासम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०६४ | ५००।- |
| ३ | एक रोपनी सम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०६५ | ८००।- |
| ४ | एक रोपनी देखि तीन रोपनी सम्म | प्रतिकित्ता | १०६६ | २०००।- |
| ५ | तीन रोपनीदेखि पाँच रोपनीसम्म | प्रतिकित्ता | १०६७ | ३०००।- |
| ६ | पाँच रोपनीदेखि १० रोपनीसम्म | प्रतिकित्ता | १०६८ | ५०००।- |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| ७ | दश रोपनीभन्दा माथिको लागि थप | प्रति रोपनी | १०६९ | १०००।- |
| ग | कच्ची मोटरबाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | | | |
| १ | चार आनासम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०७० | २५०।- |
| २ | आठ आनासम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०७१ | ३००।- |
| ३ | एक रोपनी सम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०७२ | ५००।- |
| ४ | एक रोपनी देखि तीन रोपनी सम्म | | १०७५ | १२००।- |
| ५ | तीन रोपनी देखि ५ रोपनीसम्म | प्रतिकित्ता | १०७६ | १८००।- |
| ६ | पाच रोपनी देखी १० रोपनी सम्म | प्रतिकित्ता | १०७७ | २५००।०० |
| ७ | १० रोपनी देखि माथिका लागि थप | प्रति रोपनी | १०७८ | ८००।०० |
| घ | गोरेटो, घोडेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरु | | | |
| १ | चार आनासम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०७९ | २००।- |
| २ | आठ आनासम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०८० | ३००।- |
| ३ | एक रोपनी सम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०८१ | ५००।- |
| ४ | एक रोपनी देखि तीन रोपनी सम्म | प्रतिकित्ता | १०८२ | ८००।- |
| ५ | तीन रोपनीदेखि ५ रोपनीसम्म | प्रतिकित्ता | १०८३ | १०००।- |
| ६ | ५ रोपनी देखि १० रोपनीसम्म | प्रतिकित्ता | १०८४ | १५००।०० |
| ७ | १० रोपनीभन्दा माथि थप | प्रति रोपनी | १०८५ | ६००।०० |
| ङ | बाटो नभएका जग्गाहरु | | | |
| १ | आठ आनासम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०८६ | १५०।- |
| २ | एक रोपनी सम्मको लागि | प्रतिकित्ता | १०८७ | ३००।- |
| ३ | एक रोपनी देखि तीन रोपनी सम्म | प्रतिकित्ता | १०८८ | ५००।- |
| ४ | तीन रोपनीदेखि ५ रोपनीसम्म | प्रतिकित्ता | १०८९ | ६००।- |
| ५ | ५ रोपनीदेखि १० रोपनी सम्म | प्रतिकित्ता | १०९० | १०००।- |
| ६ | १० रोपनीभन्दा माथि थप | प्रति रोपनी | १०९१ | ५००।- |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|

## अन्य विभिन्न सिफारिस १४२४३

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | छात्रवृत्ति सिफारिस | पटक | ११०३ | २००।- |
| २ | जीवित रहेको सिफारिस | पटक | ११०९ | २००।- |
| ३ | नावालक परिचय पत्र सिफारिस | पटक | १११११ | २००।- |
| ४ | घरजग्गा नामसारी दस्तुर | पटक | ११६१ | २००।- |
| ५ | व्यवसाय दर्ता सिफारिस | पटक | ११६२ | २००।- |
| ६ | धारा, बिजुली नामसारी सिफारिस | पटक | १०१९ | २००।- |
| ७ | उल्लेख नभएका सबै सिफारिस | पटक | १०३१ | २००।- |
| ८ | नाम, थर् संशोधन सिफारिस | पटक | १०१७ | २५०।- |
| ९ | घर ब्लक नं नामसारी सिफारिस | पटक | १०२४ | २५०।- |
| १० | घर कायम सिफारिस | पटक | ११०२ | ५००।- |
| ११ | स्थायी बसोवास सिफारिस | पटक | ११०५ | ५००।- |
| १२ | धारा जडान सिफारिस | पटक | ११०८ | ५००।- |
| १३ | व्यवसाय बन्द सिफारिस | पटक | १११० | ५००।- |
| १४ | व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिस | पटक | | ५००।- |
| १५ | धारा, बिजुली जडान सिफारिस | पटक | १०१८ | ५००।- |
| १६ | घर, ब्लक नं सिफारीस | पटक | १०२० | ५००।- |
| १७ | डिलरसिप सिफारिस | पटक | १०१६ | १०००।- |
| १८ | उद्योग दर्ता सिफारिस/उद्योग ठाउँसारी | पटक | १११३ | १०००।- |
| १९ | छुट जग्गादर्ता सिफारीस | प्रतिकित्ता | १०१२ | २०००।- |
| २० | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | पटक | १०३७ | २०००।- |

## घटना दर्ता दस्तुर १४२४४

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | नागरिकता सिफारिस | पटक | १०३४ | ४०।- |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| २ | जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, सम्बन्ध बिच्छेद (समयभित्रदर्ता नगरेमा) | पटक | ३०२३ | ५०।- |
| ३ | घटना दर्ता प्रतिलिपी (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, सम्बन्ध बिच्छेद) | पटक | ३०२४ | ५०।- |

**नाता प्रमाणीत दस्तुर १४२४५**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित | पटक | १०३३ | २५०।- |

**बैदेशिक प्रयोजनका लागि अङ्ग्रेजीमा सिफारिस १४२४९**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित | पटक | ३०२७ | ५००।- |
| २ | जन्म प्रमाणित | पटक | ३०२८ | ५००।- |
| ४ | विवाहिता र अविवाहिता प्रमाणित | पटक | ३०५५ | ५००।- |
| ६ | दुबै एकै भएको प्रमाणित | पटक | ३०६२ | ५००।- |
| ७ | कर चुक्ता प्रमाणीत | पटक | ३०२९ | ५००।- |

**वार्षिक आम्दानी प्रमाणित तथा रकम कलम उठाएको दस्तर १४२४९**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | सम्पत्ती मूल्यांकन वैदेशिक प्रयोजन (अंग्रेजी) | प्रतिशस | ३०५७ | ०.१५% |
| २ | सम्पत्ती मूल्यांकन दस्तुर नेपालीमा | प्रतिशस | ३०५२ | ०.१५% |
| ३ | बार्षिक आयस्रोत प्रमाणीत | प्रतिशस | ३०३१ | ०.१५% |
| ४ | न्यायीक प्रक्रियाबाट रकम कलम उठाइ दिएमा उठेको रकम मध्ये प्रशासनिक प्रयोजनको लागि लिने शुल्क | प्रतिशस | ४००६ | ०.२ प्रतिशत |

## डिजिटल नापी सेवा शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | शहरीक्षेत्र प्रति कित्ता, प्रतिवर्ष | बार्षिक | ३०१८ | १००।- |
| २ | ग्रामीणक्षेत्र प्रति कित्ता, प्रतिवर्ष | बार्षिक | ३०१९ | २५।- |

## ढल निकास जडान तथा अवलोकन शेवा शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | ढल प्रशोधन केन्द्र अवलोकन शुल्क | पटक | ३०१२ | २०००।- |
| २ | ढल निकास जडान शेवा शुल्क पुरानो घर | प्रतिघर | ३०१० | ३०००।- |
| ३ | ढल निकास जडान शेवा शुल्क नयाँ घर निर्माण | प्रतिघर | ३००९ | ५०००।- |
| ४ | अनुमति नलिई पुरानो घरको ढल जडान गर्दा | प्रतिघर | ३०११ | ५०००।- |

## प्लटिङ्ग सिफारिस दस्तुर १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | वडामा जग्गा प्लटिङ्ग सिफारिस दस्तुर | | ११२९ | १०००।- |
| २ | जग्गा प्लटिङ्ग सेवा शुल्क | प्रतिरोपनी | ११३० | १०,०००।- |
| ३ | घडेरी खार्नु वा घडेरी पुर्नु पर्दा | प्रति घ.मि. | ११३२ | ५।- |
| ४ | जग्गा प्लटिङ्ग क्षेत्रमा बिगत बर्ष देखी घडेरी किनी बसेकालाई सिफारिस लिन आउदा | प्रति रोपनी | ११३३ | ५०००।- |

## हाउजिङ्ग शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | हाउजिङ्ग अनुमति शुल्क | प्रति रोपनी | ११५५ | १००००।- |

## विद्यालय संचालन अनुमति/स्वीकृत, कक्षा वृद्धि अनुमति/स्वीकृत, बिषय थप अनुमति/स्वीकृत/नाम परिवर्तन/ठाउँसारी १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| क | आधारभूत तहहरु (संस्थागत) | पटक | १११४ | ५,०००।- |
| ख | माध्यमिक तह (संस्थागत) | पटक | १११५ | १०,०००।- |
| ग | सामुदायिक विद्यालय | पटक | | निःशुलक |

## कित्ताकाट सिफारिस १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | कित्ताकाट सिफारिस ग्रामिण क्षेत्र | प्रति कित्ता | १००१ | ५००।- |
| २ | कित्ताकाट सिफारिस शहरी क्षेत्र | प्रति कित्ता | १००३ | १०००।- |

## "घ" वर्गको इजाजत पत्र दस्तुर १४२२९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | दर्ता | पटक | ११५४ | ८०००।- |
| २ | नवीकरण | पटक | १०९२ | ५०००।- |
| ३ | इजाजतपत्र नवीकरण थप दस्तुर | पटक | १०९३ | १००००।- |
| ५ | इजाजतपत्र प्रतिलिपी दस्तुर | पटक | १०९४ | २०००।- |

## अन्तराष्ट्रिय /गैसस सिफारीस दस्तुर १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | अन्तराष्ट्रिय गैसस | पटक | १०९५ | ५०००।- |
| २ | राष्ट्रिय गैसस | पटक | १०९८ | १०००।- |
| ३ | अन्य गैसस क्लव | पटक | १०९७ | ५००।- |
| ४ | पूर्व सहमति सिफारिस ५० लाख सम्म | पटक | ११५७ | ५०००।- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ५ | पूर्व सहमति सिफारिस ५० लाख माथि | पटक | ११५८ | १००००।- |

## डिप वोरिङ्ग अनुमती शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | सेवा मुलक व्यवसायिक संस्थाहरुको लागि (एक भन्दा वढी वडाहरु समेटेर खानेपानी वितरण गर्ने उपभोक्ता समिति वा शैक्षिक तथा अन्य संघ संस्थाहरुको लागि) | बार्षिक | ११५६ | ५०,०००।- |
| २ | ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि (होटल व्यवसाय, मिनिरल वाटर फ्याक्ट्री, ट्रङ्कर मार्फत खानोपानी वितरण तथा अन्य व्यवसायिक प्रयोजनको लागि) | बार्षिक | ११५९ | १००,०००।- |

## डिप वोरिङ्ग बार्षिक शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| क | सेवामूलक व्यवसायिक संस्था | | | |
| १ | १० हर्स पावर सम्म | बार्षिक | ११६५ | २५,०००।०० |
| २ | १० भन्दा माथि २० हर्स पावर सम्म | बार्षिक | ११६६ | ३५,०००।०० |
| ३ | २० भन्दा माथि ३० हर्स पावर सम्म | बार्षिक | ११६७ | ७५,०००।०० |
| ४ | ३० हर्स पावर भन्दा माथि | बार्षिक | ११६८ | १५०,०००।०० |
| ख | ब्यवसायिक प्रयोजन | | | |
| १ | १० हर्स पावर सम्म | बार्षिक | ११६९ | ५०,०००।०० |
| २ | १० भन्दा माथि २० हर्स पावर सम्म | बार्षिक | ११७० | ७५,०००।०० |
| ३ | २० भन्दा माथि ३० हर्स पावर सम्म | बार्षिक | ११७१ | १५०,०००।०० |
| ४ | ३० हर्स पावर भन्दा माथि | बार्षिक | ११७२ | ३००,०००।०० |

## घरायसी लेनदेनको कागज रोहबर प्रमाणिकरण दस्तुर १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | २० लाखसम्म | बार्षिक | ११६० | १०००।- |
| २ | २० लाख माथि थप | प्रति लाख | | ५०।- |

## विद्युत, टेलिफोन पोल शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | सिमेन्ट पोल प्रतिवर्ष प्रति पोल | बार्षिक | ११७३ | १२००।- |
| २ | काठको पोल प्रति वर्ष प्रति पोल | बार्षिक | | १५००।- |
| ३ | फलामको पोल प्रतिवर्ष प्रति पोल | बार्षिक | | १५००।- |

## विद्युत ट्रान्सफर्मर शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | सिमेन्टको पोल प्रति ट्रान्सफर्मर | बार्षिक | ११६३ | १५००।- |
| २ | काठको पोल प्रति ट्रान्सफर्मर | बार्षिक | | २०००।- |
| ३ | फलामको पोल प्रति ट्रान्सफर्मर | बार्षिक | | २०००।- |

## टावर शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | मोबाईल टावर | बार्षिक | ११६४ | २५०००।- |
| २ | दुर सञ्चार टावर | बार्षिक | | १००००।- |
| ३ | एफ एम रेडियो टावर | बार्षिक | | ५०००।- |

## अन्य विभिन्न दस्तुर तथा सेवा शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | सम्पत्ति कर प्रतिलिपी | पटक | ११७४ | १००।- |
| २ | घर पाताल प्रमाणित | पटक | ११२१ | २००।- |
| ३ | उजुरी-सबै प्रकारको सामान्य | पटक | १००५ | २००।- |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| ४ | सर्जमिन मुचुल्का दस्तुर | पटक | ११०० | ५००।- |
| ५ | कोठा खोल्ने कार्य/रोहवरमा बस्ने कार्य | पटक | १११९ | ५००।- |
| ६ | कामकाज/मन्जुरीनामा प्रमाणित | पटक | ११२२ | ५००।- |
| ७ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | पटक | ११२३ | ५००।- |
| ८ | अविवाहित प्रमाणित | पटक | ११२४ | ५००।- |
| ९ | अपुताली सिफारिस प्रतिरोपनी | पटक | १०३० | ५००।- |
| १० | अंश भर्पाइ दस्तुर | पटक | ११७५ | ५००।- |
| ११ | व्यवसाय नामसारी शुल्क रु. | पटक | १०१५ | ५००।- |
| १२ | विर्ता जग्गा दर्ता नामसारी | प्रतिकित्ता | १००८ | ५००।- |
| १३ | जोत नामसारी सिफारिस | प्रतिरोपनी | १००६ | १०००।- |
| १४ | जोत छोटपत्र र लगत कट्टा | प्रतिकित्ता | १००९ | १०००।- |
| १५ | गुठी जग्गा राज गुठीमा र रैतान नं परिणत दर्ता नामसारी प्रतिरोपनी | प्रतिकित्ता | १०१० | १०००।- |
| १६ | जग्गा रेखाङ्कन कार्य | पटक | ११२५ | १०००।- |
| १७ | सार्वजनिक संरचना मर्मत सेवा शुल्क | बार्षिक | ३०४२ | ५०००।- |
| १८ | पक्की/ढलान सडक कटान दस्तुर प्रति वर्गमिटर घरौटी | प्रति वर्गमिटर | ३०२० | ५०००।- |
| १९ | नगरपालिकाको अमिनको सेवा लिन चाहेमा सेवा शुल्क बापत | पटक | ३०१४ | १५००।- |
| २० | आर्थिक आवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | पटक | ११०६ | २०००।- |

**अन्य पूर्वाधार सेवा उपयोग कर**

**११४५२**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | स्थायी संरचना शुल्क | प्रति घर | ३०१३ | ५०००।- |

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|

**अन्य सिफारिस १४२४९**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | घर ब्लक नं दस्तुर | प्रति घर | १०२० | ५२५।- |
| २ | भवन घर निर्माण गर्ने व्यक्ति (ठेकेदार) | प्रति घर | ११७७ | १०००।- |
| ३ | घर नक्शा-पास उजुरी दस्तुर | प्रति घर | ११७६ | ५०००।- |

**नगरपालिकाबाट जिल्लान्तर सरुवा भइ जाने/आउने तथा अन्तर पालिका एवं जिल्ला तहमा शिक्षकको सरुवा सहमति र अभलेखिकरण गर्दाको शुल्क १४२४९**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | अन्तर जिल्ला माध्यमिक | पटक | ३०९९ | ५०००।- |
| २ | अन्तर जिल्ला निम्न माध्यमिक | पटक | | ४०००।- |
| ३ | अन्तर जिल्ला प्राथमिक | पटक | | ३०००।- |
| ४ | अन्तर पालिका माध्यमिक | पटक | | ४०००।- |
| ५ | अन्तर पालिका माध्यमिक | पटक | | ३०००।- |
| ६ | अन्तर पालिका माध्यमिक | पटक | | २०००।- |
| ७ | अभिलेखिकरण | पटक | | १०००।- |

**काठ दाउरा निकासी शुल्क १४२४९**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | दाउरा निकासी | प्रति ट्रक | ३०३५ | ५००।- |
| २ | काठ निकासी | प्रति ट्रक | | १०००।- |

## अनुसूची -१५

(ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

## बिक्री तथा निकारी शुल्क दस्तुरको दर १४१५७

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६४ ,बमोजिम ढुंगा (च) (१) गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुंगा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने ब्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश कानून अनुसार हुने ।

## अनुसूची -१६

(ऐनको दफा १५ सँग सम्बन्धित)

## नक्सा पास तथा नामसारी दस्तुर

### लेखा कोड १४२४२ कम्प्युटर कोडः १०९९

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दररेट |
|---|---|---|---|
| क | नक्सा पास दस्तुर | | |
| १ | सुर्खिचुना जोडाई प्रतिघर | प्रति बर्गफिट | ५।- |
| २ | माटो जोडाईको घर | प्रति बर्गफिट | ५।- |
| ३ | अस्थायी टहरा ५०० प्रति बर्गफिटसम्म | प्रति बर्गफिट | ५।- |
| ४ | अस्थायी टहरा ५०० प्रति बर्गफिट भन्दा माथि | प्रति बर्गफिट | १०।- |
| ५ | सिमेन्ट जोडाईको पक्की भुईतल्ला मात्र | प्रति बर्गफिट | १०।- |
| ६ | सिमेन्ट जोडाईको पक्की भुईतल्ला भन्दा माथि | प्रति बर्गफिट | १२।- |
| ७ | होटल व्यवसाय, पोल्ट्रिफम, उद्योय, अस्पताल, विश्व विद्यालय र सपिङ कम्प्लेक्सको लागि प्रति बर्गफिट | प्रति बर्गफिट | २०।- |
| ८ | अरनिको राजमार्ग तथा धुलिखेल सिन्धुलि बर्दिवास राजमार्ग क्षेत्रका हकमा प्रति बर्गफिट रु | प्रति बर्गफिट | १५।- |
| ९ | कम्पाउण्ड वाल सिमेन्ट जाडाई प्रति बर्ग फिट | रनिङ्ग फिट | ८।- |
| १० | जम्मा क्षेत्रफल ५००० बर्ग फिट भन्दा माथि | प्रति बर्गफिट | २०।- |

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दररेट |
|---|---|---|---|
| ११ | माटोको जोडाईले ट्रस्ट लगाई काठ प्रयोग गरी बनाईएको घर हरु (कच्ची ) व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रति वर्ग फिट रु. | प्रति बर्गफिट | ६।- |
| ख | नक्सा नामसारी दस्तुर प्रति बर्गफिट | | |
| १ | पारिवारिक | प्रति बर्गफिट | ५।- |
| २ | व्यवसायिक | प्रति बर्गफिट | १०।- |
| ३ | भवन ऐनले तोकेको "क" र "ख" वर्गका भवनहरुको Structure विश्लेशण र छलफल गर्नु पर्ने भएकोले यसको लागि न.पा.लाई विज्ञ परामर्शदाता आवश्यक पर्ने देखिदा यस्ता घरहरुको अतिरिक्त शुल्क | प्रति वर्ग फिट | २।- |
| ४ | स्थानीय सरकार संचार ऐन २०७४ को दफा ३८ बमोजिम भवन निर्माण अवधि २ वर्ष हुनेछ र दफा ३ बमोजिम २ वर्षमा म्याद थप गर्न सकिनेमा स्थानीय सरकार संचार ऐन २०७४ को दफा ३८ (३) बमोजिमको दस्तुर लाग्ने | | पहिलेको दस्तुरको ५ प्रतिशत |
| ५ | साविक गाविस हुदाँ बनेका घरहरुको नियमानुसारको प्रक्रिया पुरा गरी घर नक्सा अभिलेखीकरण आएमा नगरपालिकाको नियमित दस्तुर लिइ अभिलेखीकरण गरिनेछ। | | नियमित शुल्क |
| ६ | भवन निर्माण गर्न अनुमति पाई समय भित्रै (नियमानुसारको म्याम थप भएका समेत) भवन निर्माण सम्पन्न गरी निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन लिन आएमा | | निःशुल्क |
| ७ | भवन निर्माण गर्न अनुमति पाई समय भित्रै (नियमानुसारको म्याम थप भएको समेत) भवन निर्माण सम्पन्न भएको तर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिएको हकमा प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण गराई उक्त भवन नक्सा बमोजिम नै निर्माण अनुमति पाएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ भने निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दस्तुर | | ५०००।- |

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दररेट |
|---|---|---|---|
| ८ | भवन निर्माण गर्न अनुमति पाई समय भित्रै (नियमानुसारको म्याम थप भएका समेत) भवन निर्माण सम्पन्न नभइ आंसिक मात्र निर्माण भएका घरको हकमा हाल तल्ला थप गर्दा तल्ला थपको प्रकृया अपनाउनु पर्ने यसरी प्रकृया अपनाउदा भवन सम्बन्धी मापदण्ड र आचार संहिता अनुसार अनुमति दिइ हालको नियमित दस्तुर लाग्ने | | नियमित दस्तुर |

## अनुसूची -१७

(ऐनको दफा १६ सँग सम्बन्धित)

## सरसफाई सेवा शुल्क १४२१९

| सि.नं. | विवरण | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर रेट |
|---|---|---|---|---|
| क | **घरको सरसफाइ शुल्क** | | | |
| १ | पसल बाहेक कोठा भाडामा प्रयोग भएको पक्कि घर | मासिक | ५००१ | १५०।- |
| २ | पक्कि घर मासिक | मासिक | ५००२ | १००।- |
| ३ | कच्ची घर मासिक | मासिक | ५००४ | ५०।- |
| | नोटः स्वयम घर धनीले ब्यवसाय गरेको रहेछ भने घरको सरसफाइ शुल्कमा ५०% छुट दिइनेछ । | | | |
| ख | **होटल, रिसोर्ट तथा अन्य** | | | |
| १ | क वर्गको होटल तथा रिसोर्ट | मासिक | ५००५ | १००००।- |
| २ | ख वर्गको होटल तथा रिसोर्ट | मासिक | ५००६ | ७०००।- |
| ३ | ग वर्गको लागि | मासिक | ५००७ | ५०००।- |
| ४ | घ वर्गको होटल तथा रिसोर्ट | मासिक | ५००८ | ३०००।- |
| ५ | रेष्टुरेण्ट/गेष्टहाउस/होस्टल | मासिक | ५००९ | ५००।- |
| ६ | खाजाघर | मासिक | ५०२७ | ३००।- |
| ७ | साधारण पसल | मासिक | ५०१० | १००।- |

| सि.नं. | विवरण | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर रेट |
|---|---|---|---|---|
| **ग** | **पार्टी प्यालेस/पार्टी भेन्यू/बेङक्वेट/तालिम केन्द्र** | | | |
| १ | मनोरञ्जन पार्क/पिकनिक स्पट | मासिक | ५०१३ | १०००।- |
| २ | तालिम केन्द्र | मासिक | ५०१२ | ७००।- |
| ३ | पार्टी प्यालेस/पार्टी भेन्यू/बेङक्वेटका लागि | मासिक | ५०११ | ५००।- |
| **घ** | **तरकारी तथा फलफुल पसल** | | | |
| १ | थोक तथा फलफुलका लागि | मासिक | ५०१४ | ५००।- |
| २ | खुद्रा बिक्रेताका लागि | मासिक | ५०१५ | ३००।- |
| **ङ** | **अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम** | | | |
| १ | अस्पतालको लागि | प्रति ट्रिप रु | ५०१६ | २५००।- |
| २ | नर्सिङ्ग होमका लागि | मासिक | ५०१७ | १००००।- |
| **च** | **सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालय/ शिक्षण संस्थाहरु** | | | |
| १ | गैर सरकारी संस्था/सहकारी | मासिक | ५०२९ | २००।- |
| २ | सरकारी कार्यालयहरु | मासिक | ५०१८ | ५००।- |
| ३ | बिश्वबिद्यालयहरु | मासिक | ५०२० | १५०००।- |
| ४ | शिक्षण संस्था - मन्टेश्वरी | मासिक | ५०१९ | २००।- |
| ५ | शिक्षण संस्था - प्रा वि | मासिक | ५०३० | ३००।- |
| ६ | शिक्षण संस्था - नि मा वि | मासिक | ५०३१ | ४००।- |
| ७ | शिक्षण संस्था - मा वि र उमावि | मासिक | ५०३२ | ५००।- |
| ८ | शिक्षण संस्था - होस्टल सहितका विद्यालय | मासिक | ५०३३ | १०००।- |
| **छ** | **पसल/कवाडी/ग्यारेज/उद्योग** | | | |
| १ | कवाडी पसल / वोर्कसप | मासिक | ५०२१ | १०००।- |
| २ | ग्यारेज | मासिक | ५०२२ | ३०००।- |
| ३ | घरेलु उद्योग | मासिक | ५०२३ | २००।- |
| ४ | पोल्ट्री फर्म | मासिक | ५०२४ | ३०००।- |
| ५ | पोल्ट्री ह्याचरी फर्म | मासिक | ५०२५ | ५०००।- |

| सि.नं. | विवरण | इकाई | कम्प्युटर कोड | दर रेट |
|---|---|---|---|---|
| ज | **अनकल सर्भिस** | | | |
| १ | फोहोर मैला उठाउने अनकल सर्भिस | प्रति ट्रिप | ५०२६ | २५००।- |

विगत आ. व. मा घरसारमा दिएको छुट खारेज गरिएकोछ ।

## अनुसूची -१८

(ऐनको दफा १७ सँग सम्बन्धित)

## दण्डजरीवाना सम्बन्धी ब्यवस्था १४३१२

## लेखा कोड १४३१२ कम्प्युटर कोडः ३०३९

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दस्तुरमा |
|---|---|---|---|
| १ | अनुमति नलिई जग्गा प्लटिङ्ग गरि अनुमति माग गर्न आएमा शत प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । | प्रतिशत | १००% |
| २ | न.पा.मा तिर्नुपर्ने कर चालु आ.व.मा नबुझाएमा मालपोत, सम्पत्ती कर बाहेकमा वार्षिक | प्रतिशत | १०% |
| ३ | सम्पत्ति कर प्रत्येक वर्ष नबुझाएकाको जरिवाना वार्षिक | प्रतिशत | २०% |
| ४ | भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना भएको तर नक्सा पास नगरी डि.पी.सी./घर निर्माण/नक्सा हेरफेर गरी निर्माण गरेका घरको यस नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न आएमा प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण र जाँचबुझ गरी तथा साँध सँधियार समेत बुझी भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना भएको रहेछ भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४२ घ बमोजिमको दस्तुर लिई नक्सा पास गर्न सकिनेछ। | | स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४२ घ बमोजिमको दस्तुर |
| ५ | तोकेको स्थान बाहेक अन्यत्र सडक पेटी, पुरातात्विक सम्पदा स्थलमा सवारी साधन पार्किङ गरेमा | | |
| क | पहिलो पटक | पटक | ५००।- |
| ख | त्यस पछि प्रत्येक पटक | पटक | ५०००।- |

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दस्तुरमा |
|---|---|---|---|
| ६ | व्यवसायमूलक सामान सडक पेटीमा राखेमा | | |
| क | पहिलो पटक | पटक | ५००।- |
| ख | त्यस पछि प्रत्येक पटक | पटक | ५०००।- |
| ७ | होडिङ बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड, साईनबोर्ड अनुमति नलिइ राखेमा | | |
| क | पहिलो पटक | पटक | ५००।- |
| ख | त्यस पछि प्रत्येक पटक | पटक | ५०००।- |
| ८ | सडक सीमा र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर/टहरा/पर्खाल/घेराबार र अन्य संरचना निर्माण गर्ने | | |
| क | पहिलो पटक (जरीवाना लिएको मितिबाट ३५ दिन भित्र आवश्यक ब्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने) | पटक | ५०००।- |
| ९ | तोकिएको ढल प्रशोधन केन्द्रमा जडान भएको शौचालयको ढल बाहेक अन्य शौचालयको रछ्यान (फोहोर) सार्वजनिक स्थानमा खुल्ला छोडेको | पटक | |
| क | पहिलो पटक (जरीवाना लिएको मितिबाट ३५ दिन भित्र आवश्यक ब्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने) | पटक | ५०००।- |
| १० | सम्पत्ती कर बिलम्ब शुल्क | पटक | |
| क | नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गा किनबेच पश्चात सक्कल प्रमाणपूर्जा सहित ३५ दिनभित्र न.पा.मा सम्पत्ति करमा दर्ता गर्नेलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने | | निःशुल्क |
| ख | नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गा किनबेच पश्चात सक्कल प्रमाणपूर्जा सहित ३६ दिनदेखि १ वर्ष सम्म दर्ता गर्न आएमा | पटक | २००।- |
| ग | त्यस पछिको प्रत्यक वर्ष | पटक | १००।- |
| ११ | सार्वजनिक यातायातमा डष्टविन नराख्ने सवारी साधन | | |
| क | पहिलो पटक | पटक | ५००।- |
| ख | त्यस पछि प्रत्येक पटक | पटक | ५०००।- |
| १२ | निर्माण सामग्री सार्वजनिक स्थलमा राखेमा | | |
| क | आवागमन बाधा नपर्ने गरी तिन दिनसम्म | | छुट |
| ख | त्यस पछिको प्रत्येक दिन | पटक | १५००।- |

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दस्तुरमा |
|---|---|---|---|
| ग | दश दिन भित्र नहटाएमा जफत गरिने र बिगो | | |
| १३ | सार्वजनिक सम्पत्ती क्षेती पुर्याएमा लागत अनुमान बमोजिमको रकम ब्यहोर्नु पर्ने (स्वीकृती लिइ जस्तै पाइप पिछ्याउनलाइ बाटो खनेमा जस्ता) | | |
| १४ | सार्वजनिक सम्पत्ती क्षेती पुर्याएमा लागत अनुमान बमोजिमको रकम ब्यहोर्नु पर्ने (स्वीकृती नलिइ) | | लागत अनुमानको दोवर |
| **१५** | **सार्वजनिकस्थल तथा डम्पिङ्ग साइटमा फोहोर फ्यालेमा बुझाउनु पर्ने क्षेतीपूर्ति** | | |
| क | धुलिखेल नगरबासीले फोहर उठाउन जाने साधान वा डम्पिङ्ग साइट बाहेक अन्यत्र जथाभावी फोहर फ्यालेमा पहिलो पटकको लागि | पहिलो पटक | ५००।- |
| ख | धुलिखेल नगरबासीले फोहर उठाउन जाने साधान वा डम्पिङ्ग साइट बाहेक अन्यत्र जथाभावी फोहर फ्यालेमा त्यस पछि प्रत्येक पटकको लागि | त्यसपछि प्रत्येक पटक | १०००।- |
| ग | धुलिखेलका नागरिक बाहेक अन्यको हकमा धुलिखेल नगर क्षेत्रका वन, सार्वजिनकस्थल, सडक, डम्पिङ्ग साइट लगायतका स्थलमा पहिलो पटक<br>खुला / पोका / बोरा<br>जिप भ्यान<br>ट्रिपर ट्रक<br>नोटः यदि फ्यालेको फोहर उठाएर नलगेमा दोवर जरीवाना | पहिलो पटक रु | ५००।-<br>७५००।-<br>१५०००।- |
| घ | धुलिखेलका नागरिक बाहेक अन्यको हकमा धुलिखेल नगर क्षेत्रका वन, सार्वजिनकस्थल, सडक, डम्पिङ्ग साइट लगायतका स्थलमा दोहोर्याएमा हरेक पटक<br>खुला / पोका / बोरा<br>जिप भ्यान<br>ट्रिपर ट्रक<br>नोटः यदि फ्यालेको फोहर उठाएर नलगेमा दोवर जरीवाना | त्यस पछि प्रत्यके पटकका लागि रु | १०००।-<br>१५०००।-<br>३००००।- |

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दस्तुरमा |
|---|---|---|---|
| १६ | सवारी पार्किङ्गस्थल वाहेक अन्यत्र पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ्ग गरेमा<br>पहिलो पटक दुइ पाङ्गे सवारी साधन<br>पहिलो पटक चार पाङ्गे सावरी साधन<br>त्यस पछि प्रत्येक पटक | | २००।-<br>५००।-<br>दोबर |
| १७ | सवारी पार्किङ्गस्थल वाहेक अन्यत्र पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ्ग गरेमा<br>पहिलो पटक दुइ पाङ्गे सवारी साधन<br>पहिलो पटक चार पाङ्गे सावरी साधन<br>त्यस पछि प्रत्येक पटक | | २००।-<br>५००।-<br>दोबर |

## अनुसूची -१९

(ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## कर छुट सम्बन्धी ब्यवस्था

| सि.नं. | विवरण | छुट दिइने क्षेत्र | लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा |
|---|---|---|---|
| १ | धुलिखेल नगरपालिका भित्र रहेका पर्यटकीयस्तरका होटलमा आफ्नो होटलबाट निस्कने फोहर पानीलाई प्रशोधन गरी ढल निकासको प्रवन्ध गरेमा | व्यवसाय करमा | १० प्रतिशत |
| २ | धुलिखेल नगरपालिका भित्र रहेका पर्यटकीय स्तरका होटल/होमस्टेमा जम्मा मजदुर मध्ये ५० प्रतिशत स्थानीयलाई रोजगारी दिएमा थप | व्यवसाय करमा | १५ प्रतिशत |
| ३ | नगरपालिकाका बिस्तारित वडाहरुमा नक्सा अभिलेखीकरण गर्दा गैह्र नाफामुलक तथा सामुदायिक संस्थाहरुको भवनलाई | नक्सा पास दस्तुरमा | ५० प्रतिशत |
| ४ | आ.व. को पौष मसान्तसम्म सम्पत्ति कर तिर्ने करदाताहरुलाई | सम्पत्ती करमा | १० प्रतिशत |

| सि.नं. | विवरण | छुट दिइने क्षेत्र | लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा |
|---|---|---|---|
| ५ | चालु आ.व.को आश्विन मसान्तसम्म एकमुष्ट व्यवसाय कर बुझाउने व्यवसायीलाई | व्यवसाय करमा | १० प्रतिशत |
| ६ | १० जना भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रले त्यसको ५०% स्थानीय वासिन्दालाई रोजगारी दिएमा व्यवसाय करमा थप छुट | ब्यवसाय करमा | १५ प्रतिशत |
| ७ | धुलिखेल नगरपालिकाका Core Area मा पुराना घर भत्काइ वा भत्किएको स्थानमा अगाडीको मोहोडा मात्र पुरातात्वित तथा पुरानो शैली झल्कीने गरी निर्माण गर्न नक्सा पेश गरी सोही अनुरुप निर्माण सम्पन्न गरेपछि | नक्सा पास दस्तुरमा | ५० प्रतिशत |
| ८ | धुलिखेल नगरपालिकाका Core Area मा पुराना घर भत्काइ वा भत्किएको स्थानमा पुरातात्वित तथा पुरानो शैली झल्कीने गरी साविक बमोजिमको घर निर्माण गर्न चाहेमा नगरपालिकाले नक्सा निःशुल्क बनाइदिन र सोही अनुरुप निर्माण सम्पन्न गरेमा निर्माण सम्पन्न गरेपछि | नक्सा पास दस्तुरमा | १०० प्रतिशत |
| ९ | अपाङ्ग परिचय पत्र भएको धुलिखेल नगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा ब्यक्तिको सम्पत्ती कर, सडक वत्ती शुल्क र विपद ब्यवस्थापन शुल्कमा | | १०० प्रतिशत |

आज्ञाले
तारानाथ लुइटेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत